उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

प्राथमिक शिक्षा

एवं

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

2003 - 04

NIEPA - DC
D12914

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

372.021
UTT. 03. UP.

National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-12914
Date 23-12-2004

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं0
1.	सामान्य पर्यवेक्षण	1
2.	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा	5
3.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0	12
4.	(अ) शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा	27
	(ब) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	31
5.	उर्दू शिक्षा	40
6.	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना	46
7.	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उत्तर प्रदेश	54

तालिकाओं की सूची

1.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या	65
2.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या	65
3.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या	65
4.	30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार जनपदवार प्राथमिक विद्यालयों, छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या	66
5.	30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार जनपदवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों, छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या	69
6	प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पदों की स्थिति	72
7.	तार–डायग्राम प्राथमिक विद्यालय, विद्यार्थी एवं अध्यापक	79
8.	तार–डायग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यार्थी एवं अध्यापक	80

अध्याय 1

सामान्य पर्यवेक्षण

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते है। प्राचीन शिक्षा की पद्धति गुरूकुल प्रणाली में निहित थी। कालान्तर में मंदिरों, मठों एवं मस्जिदों में शिक्षा का विकास कार्यक्रम चलता रहा। भारत की आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासकों ने सन् 1858 में म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ की जिसमें प्राथमिक स्तर से विद्यालयों की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था।

सेडलर कमीशन सन् 1917 के संस्तुतियो के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग किया गया। माध्यमिक तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रकाशित व प्रभावित किया गया। इसी तारतम्य में राजाज्ञा संख्या 214/2–2 दिनांक 31 मार्च 1923 द्वारा म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को छोड़कर शेष की शिक्षा इससे अलग करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु "डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन" के शिक्षा विभाग के साथ अभिलिखित किया गया अप्रैल 1939 में शिक्षा विभाग को सचिवालय से पृथक कर उसे उत्तर प्रदेश का एक अलग विभाग बनाया गया। राजाज्ञा संख्या 3436/15–263–46 दिनांक 26 जून 1947 द्वारा डाइरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन का नाम बदल कर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और बाद में शिक्षा निदेशक किया गया।

वर्ष 1972 तक उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा, निदेशक उत्तर प्रदेशा के नियंत्रण, निदेशन एवं प्रशासन के अधीन थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये–नये प्रयोगों के कुशल संचालन के कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया जिसके अनुसार विभाजन करके शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर तथा

प्रशिक्षण तीन खण्डों में किया गया जिसके अलग–अलग निदेशक बनाये गये। बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में पृथक बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों एवं उर्दू तथा राजभाषा को अधिक गतिशील प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग–अलग निदेशालय स्थापित किये गये।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश का विशालतम प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है। शिक्षा जगत की व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से पूरे प्रदेश को प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त 12 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के कार्यालय है जो समस्त प्रदेश का कार्य देखते है। जनपदीय स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के जनपदों में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं नियंत्रण के लिये एक एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये गये है। साथ ही विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई है जो विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा का मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं।

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 166052859 है जिसमें 87466301 पुरुष एव 78586558 महिलायें है। कुल साक्षरता 57.36 प्रतिशत है जबकि पुरुषों एवं महिलायो की साक्षरता क्रमशः 70.23 एवं 42.98 प्रतिशत है।

खेलकूद एवं युवक कल्याण

छात्र – छात्राओं की शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट–पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमो को संचालित किया जाना। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्रा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यायाम शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। विजेताओं को छात्रवृत्तियाँ देना, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान में विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, अपना देश, अपना प्रदेश जागो आदि योजनाओं में सम्मिलित है। विद्यालयों में खेल–कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रम को प्रोन्नति हेतु राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गयी है।

शैक्षिक शोध अध्यापक प्रशिक्षण

शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने हेतु र : शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की स्थापना वर्ष 1981 में की गयी, इस प्रक्रिया में प्राथमिक : उच्च प्राथमिक स्तर की संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा कालीन शैक्षिक सुविधाओं को विस्तृत एवं व्यापक बनाना तथा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समुन्नत करांना सम्मिलित है।

मृत/अवकाश प्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना

1. मृत, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के अध्ययनरत विकलांग बच्चों का एक शैक्षिक सत्र के लिए निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है –

1.	कक्षा 3 से 8 तक	350.00 एक मुश्त
2.	कक्षा 9 से 10 तक	800.00 एक मुश्त
3.	कक्षा 11 से 12 तक	800.00 एक मुश्त
4.	स्नातक / स्नाकोत्तकर/सी0 टी0/ एल0 टी0 / एम0 बी0 बी0 एस0 / टेक्निकल आदि	1000.00 एक मुश्त

2. मृत अध्यापकों के आश्रितों जिनका कोई बालिग पुत्र रोजगार करने योग्य न हो तथा अवकाश प्राप्त अध्यापक जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि 500 रूपयो से अधिक न हो को भरण पोषण हेतु 150 रूपये मासिक दर से कम–से–कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दी जाती है।

3. मृत अध्यापकों तथा ऐसे अवकाश प्राप्त अध्यापकों जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर रूपये तीस हजार मात्र से अधिक न हो, की पुत्री जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, की शादी हेतु 4000 रू या रू0 5000 तक एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

4. मृत अध्यापकों के आश्रितों, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों को जिसकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 30,000 रूपया (रूपया तीस हजार मात्र) से अधिक न हो, स्वयकी अथवा उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये, प्रमाण पत्र पर मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रमाण पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए रू0 750 से 5000 मात्र एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन – पत्रों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु एतद गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है। अपूर्ण अथवा नियमान्तर्गत प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाते है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

समाज के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु योजना में विशेष प्रयास किया गया है। इनके लिए अनुसूचित जाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे है तथा उनके लिए प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है। जैसे उनके बालकों हेतु निःशुल्क एवं पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है।

अध्यापकों को राज्य पुरस्कार

वर्ष 1950 से भारत सरकार द्वारा अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ हुई। इन योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश में चुने हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अरबी फारसी मदरसे के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1985 से प्रदेश स्तर पर ऐसे शिक्षकों का राज्य पुरस्कार प्रदान करना आरम्भ किया गया। इस योजना के अर्न्तगत चुने हुए अध्यापकों को 2000.00 रूपये नगद, एक ऊनी शाल, मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को दो वर्षों की सेवा विस्तारण तथा एक अग्रिम वृद्धि दिये जाने का भी प्राविधान है।

अध्याय – 2

प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था बनाई गई थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षो के अन्दर 6–14 वयवर्ग के सभी बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी किन्तु 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह ठीक है कि 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से लेकर अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वैसे हर पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। केन्द्र एवं राज्यो ने दसवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान अपनाया है। यह अभियान क्रान्तिकारी है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चे स्कूलों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में होगे। लक्ष्य यह भी है कि 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्षो की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति आ जाये कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे वो स्कल जाना बन्द न कर दें।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, जिसके लिए भारतीय सांवेधान का 93वां संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिया है और इसके साथ ही एक ऐसी क्रान्तिकारी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसके तहत 6–14 आयु वर्ग वाले बालक/बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रुप से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा। आशा की जा रही है कि 93वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकारें 6–14 वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये कुछ ठोस कार्य

करेंगी।

राज्य सरकार द्वारा 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। जहाँ वर्ष1950–51 में 3075260 बच्चे, 34833 प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे वहीं उनकी संख्या 2003–2004 में 154831 विद्यालयों में 30505000 तक पहुँच गई। इसी प्रकार वर्ष 1950–51 में 84804 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे थे वही उनकी संख्या वर्ष 2003–04 में 339037 हो गई।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में प्रत्येक 300 आबादी और 1.5 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा न उपलब्ध हाने पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने एवं 3 कि.मी. की दूरी तथा 800 आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए एक त्वरित सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण के अर्न्तगत 9524 ऐसे क्षेत्र चिंहित किये गये जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी और 4863 ऐसे क्षेत्र चिंहित किये गये जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। इस चिन्हांकन के आधार पर प्रदेश के जनपदों में सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई तथा उनके भवनों के निमार्ण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश में 6–14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रुप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की गई है। इस हेतु शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश भाग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर व्यय करने का उददेश्य है।

शिक्षण कार्य में किन्हीं कारणों से उत्पन्न ह्रास एवं अवरोध को समाप्त करने के लिए वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाने हेतु विद्याालयों की धारणा क्षमता में अभिवृद्धि, की जानी है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचितजन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्याालयों में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है।

समाज के निर्बल वर्ग शिक्षार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, मध्यान अल्पाहार तथा छात्रवृत्तियों की अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है।

प्राथमिक शिक्षा परिवेश में सुधार हेतु नये भवनों के निर्माण के साथ–साथ पुराने भवनों में सुधार तथा अन्य अवश्यक उपकरणों शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है।

गत सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता क्रम में नये विद्यालय खोले जाते है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार (मध्यान्ह भोजन) योजना

1. प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड–डे–मील) प्रथम चरण में वर्ष 1995–96 में प्रदेश के 38 जनपदों में 248 विकास खण्डों (162 मैदानी तथा 86 पर्वतीय) में लागू की गई थी। वर्ष 1996–97 में द्वितीय चरण में इस योजना का विस्तार सभी जनपदों के 643 अतिरिक्त विकास खण्डों में किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 809 विकास खण्डों में योजना लागू की जा चुकी है और उससे 76898 प्राथमिक विद्यालयों के 1,32,31,465 बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। वर्ष 2002–03 में 1,48,55,697 बच्चों को योजना का लाभ मिला है, जिनमें प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा शहरी क्षेत्रों को भी शामिल कर किया गया है। वर्तमान वर्ष 2003–04 में 98205 प्राथमिक विद्यालयों में 16374892 बच्चों को योजना का लाभ मिल रहा हैं।

2. इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाये रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभिकरण को बढ़ावा देना और उसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है। यह योजना प्रत्येक विकास खण्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में लागू की गई है। सरकारी सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों के प्राथमिक कक्षाओं (सामालिया स्तर) के बच्चों को भी दिनांक 1 अप्रेल, 1996 से योजना में शामिल किया गया है।

3. उक्त योजना के अर्न्तगत प्रत्येक बच्चें को 20 दिन विद्यालय आने पर 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूँ/चावल दिया जाता है।

4. खाद्यान्न को उठाने एवं उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्धारित कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। परिवहन व्यय के निमित रू.50.00 प्रति कुन्तल की दर से संबंधित ग्राम विकास अभिकरणों द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस भुगतान में विलम्ब होने के कारण मुख्यसचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा गया है।

5. योजना के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, मण्लायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है क्योंकि इस योजना में जन–समुदाय की सहभागिता की आवश्यकता है। ग्राम स्तर के अनुश्रवण हेतु ग्राम स्तरीय समिति भी बनाई गई है। जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व जिलाधिकारी का है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को पका–पकाया भोजन दिया जाना प्रस्तावित है।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार

यह पुरस्कार 500 (पांच सौ) रूपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से प्रदान किया जाता है। प्रासांगिक योजना मैदानी क्षेत्र के बेसिक परिषदीय ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 5 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को पुरस्कृत करने हेतु मानक के आधार पर जिला स्तर पर विचार किया जाता है।

यह पुरस्कार अध्यापकों की गुणवत्ता एवं परीक्षाफल के आधार पर दिया जाता है। दक्षता पुरस्कार मद में स्वीकृत की गई धनराशि का भुगतान 6 वर्षीय एन0एस0सी0 क्रय करके दिया जाता है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का योगदान विदित है। कतिपय कारणों से जनता में दान आदि देने की प्रवृति में

कमी आयी है, अतः इन विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करना एक कठिन कार्य हो रहा है। अतः इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेकर विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन वितरण कराने की एक योजना संचालित है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

नेपाल सीमा से लगे जनपदों के सीमावर्ती खण्डों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम योजना चलाई गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बलरामपुर तथा सिद्धार्थनगर जनपद चयनित किये गये है जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस योजना को वर्ष 1999–2000 से संचालित किया गया जिसके संचालनार्थ वर्ष 2000–01 में रूपया 57.49 लाख तथा 2001–02 में रू. 18.985 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2002–03 में रू. 33.60 लाख की धनराशि भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा–कक्ष तथा चहार दीवारी के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वर्ष 2003–04 में रू0 171.40 लाख का परिव्यय निर्धारित है जिससे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक–छात्र अनुपात को बनाये रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा जगत के सेवा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000–01 से प्रारम्भ किया गया है। यह योजना सेवायोजन परक योजना नही है, परन्तु इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने हेतु प्रेरित करना मात्र है।

वर्णित योजना में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अभियान के अर्न्तगत स्वीकृत किये गये शिक्षा मित्रो से 30366 को चयनित कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भी स्वीकृत शिक्षा मित्रों में से 10962 शिक्षा मित्र तथा बी. ई. पी. के अर्न्तगत स्वीकृत 4722 शिक्षा मित्र अर्थात सम्प्रति कुल 46050 शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे है। इन शिक्षा मित्रों का

चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संस्तुत करने एवं जिला स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् किया जाता है तथा चयन के उपरान्त संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रशिक्षण अवधि में रू0 400.00 प्रतिमाह एवं शिक्षण कार्य मे रु0 2250.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान मई के अन्तिम कार्य दिवस तक के लिये किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षा मित्र का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर पुनः 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षण कार्य हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुबंधित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उन्हें रु0 200.00 का मानदेय भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण एवं उक्त अवधि के मानदेय भुगतान हेतु रू0 17169730 एवं शिक्षण अवधि के रु0 38,07,83,270 का आवंटन किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु जिला योजना के अन्तर्गत रू0 2,81,83,500 एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रू0 26,81,25,000 की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई है।

सघन क्षेत्रीय विकास योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिसे 1992 में संशोधित किया गया है कि इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर उन लोगो की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। जहां तक अल्पसंख्यकों का शिक्षा से संबंध है इस नीति में यह उल्लेख किया है कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक रूप से वंचित है या पिछड़े हुए है। समानता और समाजिक न्याय के हितों को ध्यान में रखकर योजना संचालित की गई। इस योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में कुल रू. 810.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त हुई। वर्णित योजना के अर्न्तगत वर्ष 1994–95 से 2002–03 तक 596 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। वर्ष 2003–04 के लिए विद्यालयों के अवशेष निर्माण हेतु रु0 1175.43 लाख का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

यह योजना वर्ष 2000–01 से चालू है। वर्णित योजना के अर्न्तगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनहीन एवं जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए 60 प्रतिशत धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2003–04 से बेसिक सैक्टर की सभी योजनाएं प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना से व्यवहृत की जायेगी।

ग्यारहवाँ वित्त आयोग

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्यारहवें वित्त आयोग योजान्तर्गत वर्ष 2000–01 में 718 उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण तथा 1724 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण तथा वर्ष 2001–02 में 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं 862 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण एवं वर्ष 2002–03 में 361 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं 863 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है।

अध्याय –3

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उ0 प्र0, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं विस्तार कार्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्य यथा समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्रामकता एवं अन्य घटकों जैसे सांस्कृतिक धरोहर, मानवीय मूल्यों, नर–नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार नियोजन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि को क्रियान्वित करना है।

परिषद प्रारम्भिक एवं माध्यमिक क्षेत्र में शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि करने की दिशा में सतत् गतिशील है।

परिषद के विभाग

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद।
2. विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद)।
3. इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन (आई0ए0एस0ई0) इलाहाबाद।
4. मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) इलाहाबाद।
5. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान) वाराणसी।
6. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान) इलाहाबाद।
7. श्रव्य–दृश्य तथा शिक्षा प्रसार विभाग (शिक्षा प्रसार विभाग) इलाहाबाद।

8. कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन, वाराणसी/इलाहाबाद/लखनऊ।

9. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग, लखनऊ।

10. शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग लखनऊ।

11. व्यवसायपरक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

उक्त के अतिरिक्त परिषद के नियन्त्रण में – दो शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, दो शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर/इलाहाबाद, दो राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा 56 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है।

उद्देश्य और कार्यक्रम

परिषद के बहुआयामी कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को संकल्पित किया गया है :–

- शिक्षा का विकास करने और उसके स्तर को उठाने की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन करना, क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षणों की उचित व्यवस्था करना।
- शैक्षिक अनुसंधानों और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श देना।
- नवीनतम एवं श्रेष्ठ शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमो को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुंचाना।
- अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना।
- शैक्षिक नवाचारों, अभिनव प्रवृत्तियों, नवीन प्राविधियों तथा अद्यतन सूचनाओं का संग्रह और प्रचार करना।
- विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य

अभिकरण को परामर्श देना।

- पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन करना।
- परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी प्रकार के कार्यों का सम्पादन।
- सरकार द्वारा सन्दर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद अपने सीमित मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के माध्यम से निरन्तर प्रयास कर रहा है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के विभागों के प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत् पांच शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है –

1. प्रशिक्षण
2. कार्यशाला/विचार गोष्ठी
3. शोध / अध्ययन / सर्वेक्षण
4. प्रकाशन
5. अन्य विशिष्ट कार्य

परिषद् की विभिन्न इकाइयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में कृत कार्यों का विवरण निम्नवत है –

(1) प्रशिक्षण

1.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0 इलाहाबाद

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स हेतु 'की–पर्सन्स' का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 फेरों में आयोजित किया गया।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 10 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आँगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

गया।

- प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण हेतु की–पर्सन्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किया गया।

1.2 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0 प्र0 वाराणसी

- आजमगढ़ मंडल के हिन्दी प्रवक्ताओं का पंच दिवसीय हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आगरा मण्डल के प्रवक्ताओं को पंच दिवसीय हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
- मुरादाबाद मण्डल एवं विन्ध्याचल मण्डल के प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को पंच दिवसीय हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
- चन्दौली जनपद के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के हिन्दी शिक्षक/शिक्षिकाओं का पंच दिवसीय हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 36 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0 इलाहाबाद

- 81वाँ तथा 82वाँ अंग्रेजी भाषा शिक्षण डिप्लोमा कोर्स (50 प्रतिभागी) का आयोजन।
- 54वाँ तथा 55वाँ अंग्रेजी वाचन प्रवीणता कोर्स (50 प्रतिभागी) का आयोजन।
- नवविकसित अंग्रेजी पुस्तकों के शिक्षण पद्धति एवं सक्षिप्त ज्ञान हेतु डायट्स के प्रवक्ताओं का 5 दिवसीय 3 चक्रों में संदर्भदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

1.4 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) उ0 प्र0, इलाहाबाद

- डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी हेतु 15 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- माध्यमिक विद्यालयों तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र प्रवक्ताओं का सप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण का तीन स्तरो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

का आयोजन।

1.5 विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद

- प्रदेश के हाईस्कूल गणित अध्यापकों का 10 दिवसीय गुणवत्ता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- गणित तथा विज्ञान शिक्षण गुणवत्ता सवंर्द्धन हेतु शिक्षक संदर्शिका आधारित मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(2) कार्यशाला / विचारगोष्ठी

2.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0 इलाहाबाद

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स प्रशिक्षण पैकेज विकास हेतु क्रमशः 4 दिवसीय एवं 3 दिवसीय दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- उच्च प्राथमिक स्तरीय वैकल्पिक केन्द्रों के अनुदेशक हेतु प्रशिक्षण पैकेज निर्माण विषयक छः दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी।
- विशिष्ट बी0टी0सी0 के शिक्षक–प्रशिक्षकों हेतु विकसित पाठ्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

2.2 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0 प्र0 वाराणसी

- ''इण्टरमीडिएट की पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में समाहित सौदर्यबोधक तत्वों का अध्ययन'' विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी।
- ''रीतिकाल'' के प्रीतिनिधि कवि बिहारी लाल की कार्यसाधना विषयक विचारगोष्ठी आयोजित की गयी।
- कवियत्री महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

2.3 आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 इलाहाबाद

राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान के समस्त राज्य पत्रित अधिकारियों को अंग्रेजी भाषा बोलना एवं व्याकरण के कुछ तथ्यों का ज्ञान करा कर लाभान्वित करने हेतु छः दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी।

2.4 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) उ0प्र0, इलाहाबाद

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हिन्दी माध्यम के छात्र–छात्राओं की प्रतियोगिता में वृद्धि के उपाय विषयक कार्यशाला आयोजित की गयी।

2.5 विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद

- राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में चयनित उत्कृष्ठ प्रदर्शों के गुणवत्ता संवर्द्धन निमित्त दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इण्टरमीडिएट गणित शिक्षक संदर्शिका हेतु प्रूफ रीडिंग 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं की विज्ञान एवं गणित संदर्शिकाओं को अन्तिम रूप देने हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी।
- राज्य विज्ञान संगोष्ठी 2003 का आयोजन।

(3) शोध / अध्ययन / सर्वेक्षण

3.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0 इलाहाबाद

- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षामित्रों की प्रभावी भूमिका का अध्ययन विषयक शोध कार्य किया गया।
- परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3–5 में संस्कृत शिक्षण की स्थिति पर शोध कार्य किया गया।

3.2 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0प्र0, वाराणसी

- संस्कृत पीयूषम कक्षा – 3, 4 एवं 5 में प्रयुक्त शब्द भण्डार का क्रमिक अध्ययन।
- प्राथमिक स्तर पर हिन्दी के मानक उच्चारण पर स्थानीय बोलियों के प्रभाव का अध्ययन।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषिक सम्प्राप्ति में सूक्तियों की प्रभावकारिता का अध्ययन।
- माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन।

3.3 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) उ0प्र0, इलाहाबाद

विद्यार्थियों में वाणी दोष के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शोधक उपाय विषयक

विचारगोष्ठी आयोजित की गयी।

(4) प्रकाशन

4.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0 इलाहाबाद

- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (तुलनात्मक एवं प्रगतिदर्शक) का वार्षिक प्रकाशन।
- परिषद समाचार पत्रिका "राशैप" का त्रैमासिक प्रकाशन।
- अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'स्पन्दन' का प्रकाशन।

4.2 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0 प्र0 वाराणसी

- त्रैमासिक पत्रिका "वाणी" के चार अंको 109, 110, 111, 112 का लेखन एवं मुद्रण कार्य।
- "वाणी" के 4 अप्रकाशित अंकों 89, 90, 91, 92 का मुद्रण कार्य।
- 'प्रशिक्षण मंजूषा' का प्रकाशन।

4.3 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) उ0प्र0, इलाहाबाद

- "आपका बालक" के चार अंको में त्रैमासिक प्रकाशन।
- "व्यासयिक सूचना" के चार अंकों में त्रैमासिक प्रकाशन।
- "उत्कर्ष" का वार्षिक प्रकाशन।

(5) अन्य विशिष्ट कार्य

5.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0 इलाहाबाद

- राज्य शिक्षा संस्थान से संलग्न राजकीय शोध आदर्श विद्यालय का निर्देशन कार्य।
- मैनपुरी जनपद के शैक्षित अभिकर्मियों तथा छात्रों एवं उनके माता–पिता के साथ नशाखोरी के सम्बन्ध में विचार विमर्श।
- शिक्षण अधिगम के उन्नयन हेतु क्रियात्मक शोधों के माध्यम से शिक्षण विधाओं एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार कार्य।
- प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु समय–समय पर दिशा निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन।

- वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संचालन।
- यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजनान्तर्गत सखी सभा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन।

5.2 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0प्र0 वाराणसी

- ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का संक्षिप्त विवरण।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं की नवविकसित हिन्दी एवं संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों हेतु समेकित रूप से शिक्षक संदर्शिका बनायी गयी।

5.3 आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद

हरदोई जनपद के 39 शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षण विधा से अवगत कराने हेतु 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5.4 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) उ0 प्र0, इलाहाबाद

- व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के शैक्षिक, व्यावसायिक, वैयक्तिक तथा बाल निर्देशन कार्य
- सैनिक स्कूल लखनऊ, स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ तथा गोरखपुर, प्रदेश के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा पुलिस कांस्टेबिल/फायरमैन/पी0ए0सी0 की भर्ती हेतु संस्था के तकनीकी स्टाफ द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण/साक्षात्कार में सक्रिय सहयोगात्मक कार्य।
- मनोविज्ञान शाला तथा अधीनस्थ मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों द्वारा वर्तमान वर्ष में अद्यतन 2312 अभ्यर्थियों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर शैक्षिक निर्देशक प्रदान किया गया।
- व्यक्तिगत निर्देशन में संस्था से स्वयं सम्पर्क करने वाले अभ्यर्थियों पर प्रशासित कर आख्या प्रेषण का कार्य किया गया।
- वर्तमान वर्ष में 161 अभ्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय छात्रवृत्तियों तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत कराया गया।
- वर्तमान सत्र में 150 अभिभावकों को परामर्श प्रदान किया गया।

5.5 विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद

- 31वीं राज्य स्तरीय जवाहर लाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2003 बरेली में आयोजित की गयी।
- उच्च प्राथमिक स्तर एवं हाई स्कूल स्तर पर गणित एवं विज्ञान अध्यापकों के लिए रेडियों कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।
- भाषा संवर्द्धन हेतु संस्थान के प्रोफेसरों का अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान की गतिविधियों का अवलोकन कार्य प्रणाली का अध्ययन।
- छः अधिकारियों का गुणवत्ता सवर्द्धन के क्षेत्र में आपसी विचार आदान प्रदान हेतु बी0ए0आर0सी0 का भ्रमण।
- विज्ञान वर्ष मनाने हेतु कक्षा 8 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के विशिष्ट आयोजन।
- विज्ञान एवं गणित में पाठ प्रस्तुतीकरण व सी0डी0 निर्माण।
- उत्तर प्रदेश में बी0टी0सी0 हेतु गणित गाइड लेखन।
- उत्तर प्रदेश में नवीन बी0टी0सी0 सम्बन्ध में कार्य।
- विद्यालीय शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्यागिकी का एकीकरण का अभिविन्यास कार्यक्रम।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन हेतु समर्पित एवं सुयोग्य अध्यापकों की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है। इन अध्यापकों के उपयुक्त अकादमिक तथा अन्य संसाधन सुलभ होने चाहिये जो प्रशिक्षण/मार्ग दर्शन तथा शैक्षिक परामर्श से ही सम्भव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का कार्य राजकीय दीक्षा विद्यालयों में सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न हो रहा था। भौतिक मानवीय एवं अकादमिक संसाधनों के अभाव में विद्यालय सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीमित दायित्व के निर्वहन में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक

सुधार एवं गुणवत्ता संवर्द्धन से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनीतियों एवं कार्यक्रम की सफलता हेतु जनपद स्तर पर विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं प्रौढ़ निरक्षरो को कामचलाऊ साक्षरता के सन्दर्भ में अकादमिक सहयोग एवं संसाधनों को सुलभ कराना इन संस्थान का मुख्य उद्देश्य है।

संस्थानों की स्थापना

प्रदेश के समस्त जनपद इस केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक शिक्षा योजना से आच्छादित है

1. लखनऊ
2. उन्नाव
3. मंझनपुर – कौशाम्बी
4. अजीतमल – औरैया
5. फरीदपुर – बरेली
6. बीसलपुर – पीलीभीत
7. बरूआसागर – झाँसी
8. चरखारी – महोबा
9. फैजाबाद
10. प्रयागपुर – श्रावस्ती
11. कॉठ – मुरादाबाद
12. छोटा मवाना – मेरठ
13. बुलन्दशहर
14. सारनाथ – वाराणसी
15. पकवाइनार – बलिया
16. गोरखपुर
17. आगरा
18. बाद – मथुरा
36. सैदपुर – गाजीपुर
37. पिण्डारी – जालौन
38. इस्माइलपुर – बिजनौर
39. दर्जीकुआँ – गोण्डा
40. रामपुर कारखाना – देवरिया
41. सुल्तानपुर
42. पटेहराकला – मिर्जापुर
43. इमलिया – मऊ
44. जाफरपुर – आजमगढ़
45. भैसऊ – कानपुर देहात
46. खैराबाद – सीतापुर
47. राजापुर – लखीमपुर खीरी
48. बॉसी – सिद्धार्थनगर
49. प्लास्टिक काम्पलेक्स – बस्ती
50. नगलाअमान – फिरोजाबाद
51. अतरसंड – प्रतापगढ़
52. पटनी – सहारनपुर
53. हरचंदपुरकला – एटा

19. फतेहपुर
20. नर्वल – कानपुर नगर
21. छिबरामऊ – कन्नौज
22. ददरौल – शाहजहांपुर
23. ललितपुर
24. रामपुर
25. मुजफ्फरनगर
26. रार्बटसगंज – सोनभद्र
27. हाथरस – अलीगढ़
28. हरदोई
29. गणेशपुर – बाराबंकी
30. जौनपुर
31. हापुड – गाजियाबाद
32. बदायूं
33. रायबरेली
34. भोगांव – मैनपुरी
35. शिवरामपुर–छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
54. महराजगंज
55. इलाहाबाद
56. अम्बेदकर नगर
57. सन्तरविदास नगर
58. हमीरपुर
59. कुशीनगर
60. ज्योतिबा फुले नगर
61. बहराइच
62. इटावा
63. चन्दौली
64. फर्रूखाबाद
65. अलीगढ़
66. बांदा
67. गौतमबुद्ध नगर
68. बागपत
69. बलरामपुर
70. सन्त कबीर नगर

इन संस्थानों में निम्नलिखित 7 इकाइयाँ (विभाग) हैं –

1. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग।
2. कार्यानुभव विभाग।
3. जिला संसाधन इकाई
4. सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्पर्क एवं प्रवर्तन समन्वय विभाग।
5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग।
6. शैक्षिक तकनीकी।
7. नियोजन एवं प्रबंधन विभाग।

पद सृजन

वर्तमान में 56 जनपदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित 48 पद प्रति संस्थान सृजित किये जा चुके है। शेष जनपदों में पद सृजन का प्रस्ताव प्रदेश शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

केन्द्र पुरोनिधारित योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की पद स्थापना की स्थिति –

पदनाम	वेतनक्रम	स्वीकृत पद
1. प्राचार्य	10000 – 15200	1
2. उप प्राचार्य	10000 – 15200	1
3. वरिष्ठ प्रवक्ता	8000 – 13500	6
4. प्रवक्ता	6500 – 10500	17
5. कार्यानुभव शिक्षक	4500 – 7000	1
6. संख्यिकीकार	4500 – 7000	1
7. तकनीकी सहायक	4500 – 7000	1
8. कार्यालय अधीक्षक	5000 – 8000	1
9. पुस्तकालयाध्यक्ष	5000 – 8000	1
10. लेखाकार	4500 – 7000	1
11. आशुलिपिक	4000 – 6000	1
12. लिपिक	3050 – 4590	9
13. प्रयोगशाला सहायक	3050 – 4590	2
14. परिचारक	2550 – 3200	5

प्रत्येक संस्थान के लिए एक परामर्श दायी समिति एवं एक क्रय समिति गठित की गयी है। प्रत्येक संस्थानों के कार्यक्रम निम्नवत प्रस्तावित है :–

प्रशिक्षण

प्राथमिक स्कूलो में प्रशिक्षित व्यक्तियों को सेवा में लेने के उद्देश्य से बी0 टी0 सी0

प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 100 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त की गयी है।

परिषद के नियन्त्रणाधीन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सत्र मित्र तथा शिक्षा गारण्टी कार्यक्रम में आचार्य जी को सेवा में प्रायोजित करने के पूर्व 30 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में की जा रही है।

शोध अध्ययन / सर्वेक्षण

गुणात्मक सुधार एवं अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं चुनौतियों के सम्बन्ध में इन संस्थानों द्वारा क्रियात्मक शोध / अध्ययन / सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

कार्यशाला / विचारगोष्ठी

शैक्षिक विषयों एवं प्रासंगिक समस्याओं पर शैक्षिक कार्यशालाओं / विचारगोष्ठियों का आयोजन।

अन्य विशिष्ट कार्य

सबके लिए शिक्षा परियोजना, रूचिपूर्ण शिक्षा तथा जनशाला कार्यक्रम के संचालन में विशेष भूमिका का निर्वहन कार्य।

कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी0टी0ई0)

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित 03 कालेज ऑफ टीचर एजेूकेशन (सी0 टी0 ई0) की स्थापना की गयी है :–

1. कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन, इलाहाबाद
2. कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन, लखनऊ
3. कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन, वाराणसी

इनके प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत् है : –

- माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण व्यवस्था
- माध्यमिक विद्यालयों एवं अध्यापकों को शैक्षिक नवाचारों से अवगत कराना
- माध्यमिक विद्यालयों एवं अध्यापकों को सन्दर्भ साहित्य एवं शिक्षणोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराना।

परिषद के नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम :

1. बेसिक टीचिंग सार्टिफिकेट (बी0 टी0 सी0) – यह द्विवर्षीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों मे प्रदान किया जाता है जो भारत सरकार की केन्द्र पूरोनिर्धारित योजना के अन्तर्गत खोले गये हैं। इसमें प्रशिक्षाणार्थियों की संख्या 100 प्रति संस्था है।

2. सर्टिफिकेट इन टीचिंग (नर्सरी) – यह द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा आगरा में क्रमशः 34 तथा 30 प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

3 डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन (डी0पी0एड0) -- यह द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो निम्नांकित 4 संस्थाओं में प्रदान किया जाता है –

संस्थाएँ	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
• राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	25
• राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	50
• क्रिश्चियन कालेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ।	25
• श्री गाँधी मेमोरियल फिजिकल ट्रेनिंग कालेज समोधपुर, जौनपुर।	25

4. डिप्लोमा इन गाइडेन्स एण्ड साइकोलाजी (डी0 पी0 एड0) – इस प्रशिक्षिण की अवधि नौ माह है जो 15 प्रशिक्षाणार्थियों को मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में प्रदान किया जाता है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

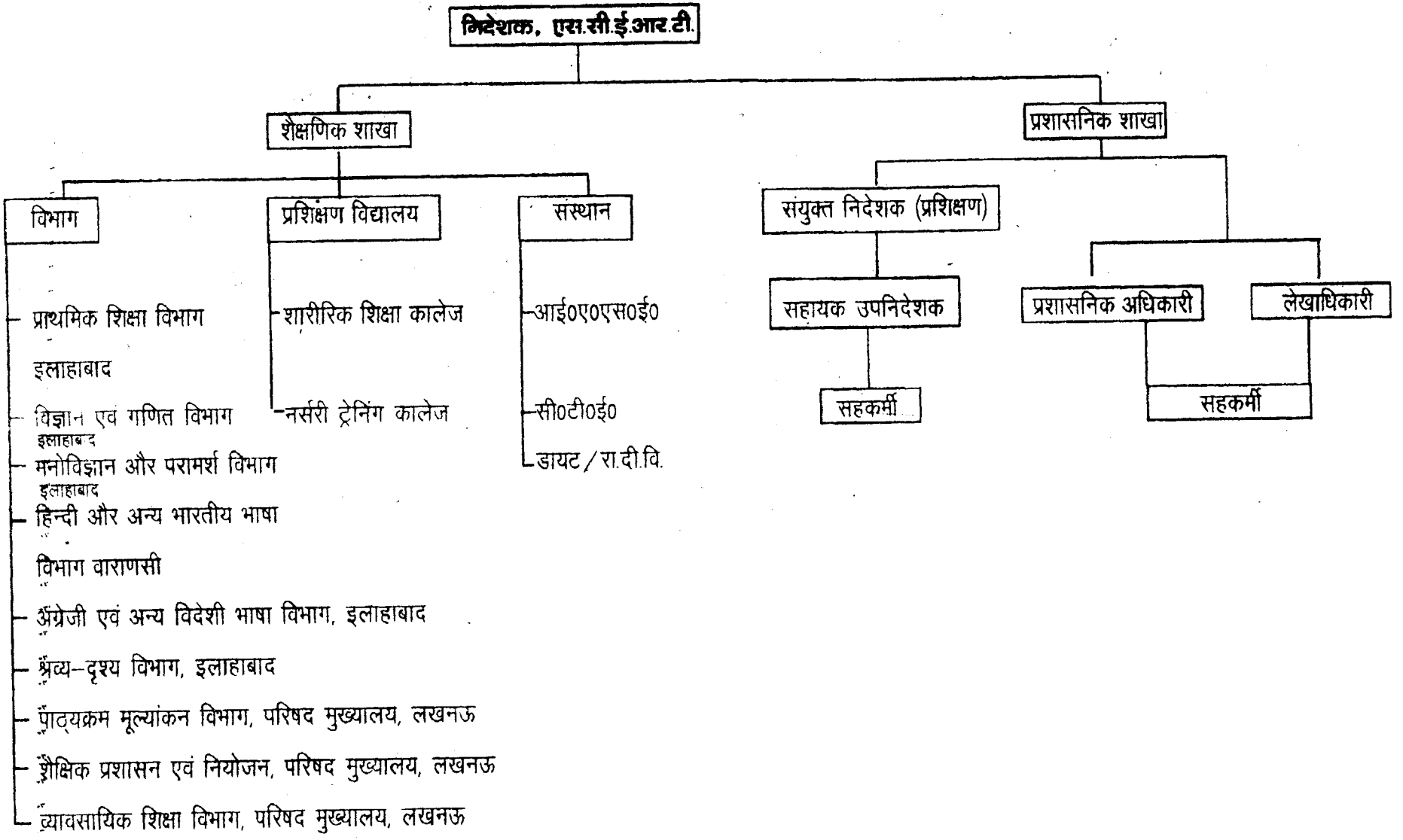

अध्याय 4

(अ) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा को 1.4.2001 से समाप्त करके उसके स्थान पर शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में शिक्षा गारण्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा को संचालित करने के उद्देश्य से साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था निम्नवत् है :–

पद	वेतनमान	स्वीकृत पद
(क) निदेशालय स्तर	रु	
1. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	18400–22400	01
2. अपर शिक्षा निदेशक, सा0 एवं वे0शि0	14300–18300	01
3. उपशिक्षा निदेशक, सा0 एवं वै0 शि0	10000–15200	02
4. सहायक निदेशक, सा0 एवं वै0 शि0	10000–15200	01
5. आशुलिपिक	4500–7000	02
6. अधीक्षक ग्रेड 2	5000–8000	01
7. वरिष्ठ सहायक	4500–7000	04
8. वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01
9. कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	02
10. वाहन चालक	3050–4590	01
11. चपरासी	2550–3200	03
	योग	19

मण्डल स्तर

मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य मण्डलीय सहायक निदेशक, बेसिक को सौपा गया है।

जनपद स्तर

जनपद स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा पूर्ण रूप से उप बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर

विकास खण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व बरिष्ठ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / उप प्रति विद्यालय निरीक्षक को सौपा गया है।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु ''सबके लिए शिक्षा परियोजना'' के अन्तर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव शिक्षा तथा सचिव, निदेशक, साक्षरता एवं वैकाल्पिक शिक्षा है।

यह समिति प्रदेश में ''शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा'' के क्रियान्वयन नीति निर्धारण के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर दिशा निर्देश तैयार करेगी तथा कार्यक्रम की समीक्षा भी करेगी।

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है

1. शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0) योजना

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0 केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म–कालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए संचालित ''सर्व शिक्षा अभियान'' (एस0 एस0 ए0) योजना का अंग होगी।

ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0 कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के बच्चे होंगे। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी।

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा ई0 जी0 एस0 योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके है अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए है अथवा स्ट्रीट चाइल्ड / चाइल्ड लेबर या घुमन्तू बच्चे (माइग्रेट्री चिल्ड्रेन) हो चुके है, के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय, जिसके लिए बच्चें उपयुक्त होगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियों में जहां 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिए ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेगे। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र विशेष में ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहां पर ए0 आई0 ई0 केन्द्र खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जाय क्योकि सर्वप्रथम वह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा ई0 जी0 एस0 केन्द्र में प्रवेश ले ले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर ए0 आई ई0 केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाय।

इस योजना का संचालन भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जायेगा जो भविष्य में सर्व शिक्षा अभियान को भी संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगी। प्रदेश स्तर पर इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सम्प्रति उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद को स्टेट सोसाइटी के अधीन उच्चधिकार प्राप्त समिति का गठन प्रमुख सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में किया जा चुका है।

इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के बीच 75 : 25 अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि एजूकेशन गारेन्टी स्कीम कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित

जनपदीय अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 9221 केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य है।

2. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0आई0ई0) कार्यक्रम

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल–श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए0 आई 0 ई0 योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि, जहां पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होगे, वहां नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होगें) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए निकट के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

वर्ष 2004–2005 में जनपदों में 4984 प्राइमरी केन्द्र तथा 1774 उच्च प्राइमरी के केन्द्र सचालित करने का लक्ष्य है।

3. ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर :

सड़क / प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिक / खतरनाक

उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यतः 9–14 है, के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किये जायेगें।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रहे इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाना है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार अधिक आयु के बच्चों को इन शिविरों में लाया जायेगा परन्तु फिर भी इन बच्चों का वय वर्ग सामान्यतः 9–14 वर्ष होना चाहिए।

कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती है।

भारत सरकार के निर्देशों में यद्यपि इन शिविरों में न्यूनतम बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं है फिर भी प्रदेश सरकार के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविर में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे।

इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स / शिविर के लिए एक केयर टेकर, दो पैरा टीचर, एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2004–2005 में इस योजना के अन्तर्गत गैर आवासीय 8180 तथा आवासीय 252 ब्रिज कोर्सेज चलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवासीय ब्रिज कोर्स बालिकाओं के लिये संचालित होंगे। इन्हें स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

(ब) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.60 करोड़ है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 13.55 करोड़ है। 7 वर्ष से अधिक की आयु में साक्षरों की संख्या 7.77 करोड़ है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 57.40 है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 70.2 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 43.00 है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में गत 10 वर्षो में 16.7 प्रतिशत तथा महिलाओं में

यह वृद्धि 18.6 प्रतिशत साक्षरता में वृद्धि हुई है।

प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत में उल्लेखनीय निम्नवत् प्रगति हुई है :–

	1991 की साक्षरता प्रतिशत			2001 की साक्षरता प्रतिशत			1991–2001 के मध्य साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
भारत	52.2	64.1	39.3	65.4	75.8	54.2	13.2	11.7	14.9
उत्तर प्रदेश	40.7	54.8	24.4	57.4	70.2	43.0	16.7	15.4	18.6

प्रदेश में 15–35 वय वर्ग के निरक्षरों के लिए साक्षरता समिति के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सभी जनपदों में संचालित किए जा रहे है।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :–

1. पढ़ने–लिखने, अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर होना।
2. अपनी गिरी हुई हालत के कारणों की जानकारी पाना और संगठित होकर तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बनकर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करना।
3. अपनी आर्थिक स्थिति और गिरी हुई हालत को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना।
4. राष्ट्रीय एकता पर्यावरण की सुरक्षा, महिलाओं और पुरूषों में समानता। छोटे परिवार के आदेशों को समझना जैसे राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों की जानकारी पाना।

सम्पूर्ण साक्षरता के उपरान्त नव साक्षरों की शिक्षा में निरन्तरता बनाएँ रखने के उद्देश्य से उत्तर साक्षरता कार्यक्रम को संचालित किया जाता है जो एक वर्ष की अवधि के लिए है। वर्ष 2004 – 2005 में सभी शेष जनपदो को उत्तर साक्षरता की परिधि में लाने का लक्ष्य है। उपरोक्त कार्यक्रम के लक्ष्य समूह निम्नवत् है :–

1. 15–35 आयु वर्ग के नवसाक्षरों के लिए पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करना।

2. अर्द्धसाक्षर/बुनियादी साक्षरता चरण की पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर जाने वालों निरक्षरों के लिए।

3. प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई बीच में छोड़ जाने के लिए।

4. ऐसे नवसाक्षरों को जो जीवन–यापन में सुधार एवं आर्थिक उन्नति के लिए सामाजिक शिक्षा में क्षेत्रीय लघु उद्योगों को सीखने के लिए व्यवस्था।

उत्तर साक्षरता अभियान के एक वर्ष के उपरान्त सतत् शिक्षा/आजीवन शिक्षा के लिए 25 जनपदों में सतत् शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा प्रयास किए जा रहे है कि वर्ष 2004–05 में कम से कम 25 और जनपदों में सतत् शिक्षा कार्यक्रम लागू कर लिया जाय। सतत् शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :

(क) साक्षरता कौशल बनाए रखने और सतत् शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना ताकि शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखें।

(ख) जीवन–यापन की दशा और जीवन सुधारने के लिए कार्यात्मक साक्षरता को इस्तेमाल करने की सम्भावना पैदा करना।

(ग) विकास से जुड़े कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना और समाज के परम्परागत वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना और उसमें सुधार करना।

(घ) राष्ट्रीय चिन्ता के विषयों के बारे में जागरुकता पैदा करना, जैसे राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और सुधार, महिला पुरुष की समानता छोटे परिवार के आदर्श मानना और समाज की सभी समस्याओं का समाधान करना।

(ड.) व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(च) साक्षरता प्रयासों और शिक्षा प्रेमी समाज के अनुरूप वातावरण बनाने के लिए पुस्तकालय और वाचनालयों की सुविधाएं प्रदान करना।

(छ) लोगों की कारगर भागीदारी से सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियां आयोजित करना।

निम्नांकित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिन पर साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन/अनुश्रवण एवं प्रबन्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जनपद स्तर

जिला साक्षरता समिति

↓

साधारण सभा

↓

कार्यकारिणी

↓

कोर ग्रुप

↓

उपसमितिया

ब्लाक स्तर	:–	ब्लाक साक्षरता समिति
न्यायपचायत स्तर	:–	न्याय पंचायत साक्षरता समिति
ग्राम स्तर	:–	ग्राम शिक्षा समिति
मण्डल स्तर	:–	मण्डलीय साक्षरता समिति
राज्य स्तर	:–	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण / साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम/सतत् शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों की संख्या

जनपद का नाम	कुल जनपद	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	सतत् शिक्षा कार्यक्रम
1. मेरठ	5	2	2	1
2. सहारनपुर	2	–	1	1
3. आगरा	7	1	2	4

4. झांसी	3	—	2	1
5. इलाहाबाद	4	1	1	2
6. कानपुर	6	—	2	4
7. बरेली	4	—	3	1
8. मुरादाबाद	4	—	1	3
9. लखनऊ	6	1	3	2
10. फैजाबाद	4	1	1	2
11. गोरखपुर	4	1	2	1
12. वाराणसी	4	1	2	1
13. मिर्जापुर	3	2	1	—
14. आजमगढ़	3	—	2	1
15. बस्ती	3	—	3	—
16. चित्रकूट	4	—	3	1
17. देवीपाटन	4	1	3	—
योग	70	11	34	25

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

बेसिक साक्षरता की प्रारम्भिक 200 घण्टे की अवधि के तत्काल बाद उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम सामान्यता एक वर्ष की अवधि का है। इसमें 40–50 घण्टे तक सप्ताह में एक दिन कक्षा लगाकर गाइडेन्स लर्निंग से सेल्फ की ओर लाया जाता है। शेष अवधि में पुस्तकालय, वाचनालय, कौशल विकास, चर्चा मण्डल, संचार केन्द्र सुविधाएं दी जाती है। एक नवसाक्षरत को उत्तर साक्षरता की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औसत 80–85 रुपये लागत आती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अनुमोदित लागत का दो तिहाई भारत सरकार तथा एक तिहाई भाग राज्य सरकार वहन करती है। सम्प्रति राज्य के 59 जनपदों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम अनुमोदित है।

नवसाक्षरो के लिए सतत् शिक्षा योजना

भारत सरकार ने उत्तर साक्षरता के अनुवर्ती कार्यक्रम के पक्ष में नव साक्षरों के लिए

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12914
DOC, No.
Date 23-01-2007

सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किया है। इस योजना के अन्तर्गत 1500 से 2000 की जनसंख्या या 500 नव साक्षरों के लिए एक सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्रों पर सायंकालीन कक्षाएं, पुस्तकालय, वाचनालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चर्चा मण्डल, जीवन में गुणवत्ता के कार्यक्रम शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के कार्यक्रम सहित एक लर्निंग सोसाइटी के विकास की संकल्पना है। एक सतत् शिक्षा केन्द्र की लागत रु 25,000/– अनावर्ती तथा रु. 25000/– आवर्ती अनुमोदित (वार्षिक) की गई है। नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र की अनावर्ती लागत रू0 45000/– तथा आवर्ती वार्षिक लागत रु0 45000/– है। यह योजना पांच वर्षों के लिए है। प्रथम तीन वर्षों तक इस योजना की लागत को केन्द्र सरकार शत्–प्रतिशत आधार पर वहन करेगी। अन्तिम दो वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकारें इन्हें आधा–आधा वहन करेगी। प्रदेश के 25 जनपदों में इसे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 14 जनपदों को वित्तीय स्वीकृत निर्गत कर दी है। शेष 11 जनपदों को वित्तीय स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अभियान का मूल्यांकन

साक्षरता अभियान में लाभर्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नामित राज्य के बाहर की किसी स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा कराया जाता है। अभी तक राज्य के 55 जनपदों में वाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है / प्रस्तावित है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु पठन–पाठन एवं शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती है। इसका निर्माण राज्य संदर्भ केन्द्र, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य में विभिन्न क्षेत्रों हेतु 5 प्रवेशिकायें स्थानीय बोलियों में अपनाई गई है। यथा ब्रज भारती बृज क्षेत्र के लिए बुन्देल भारती बुन्देलखण्ड के लिए, नई किरन मध्य प्रदेश के लिए, पूर्वांचल प्रवेशिका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सकल्पनानुसार आई0 पी0 सी0 एल0 (एर प्रब्ड प्रेस एण्ड कान्टेन्ट आफ लार्निंग) योजनानुसार प्रवेशिकाओ को तीन भागों में किया जाता है। इन प्रवेशिकाओं में लिखित अभ्यास, मूल्यांकन, जाच पत्र तथा समाप्ति पर प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है।

2001 की जनगणनानुसार जनपदवार जनसंख्या एवं 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	जनपद मण्डल	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	3681416	76.63	61.22	69.39
2.	सीतापुर	3616510	61.03	35.08	49.12
3.	लखीमपुर खीरी	3200137	61.03	35.89	49.39
4.	हरदोई	3397414	65.08	37.62	52.64
5.	उन्नाव	2700426	67.62	42.40	55.72
6.	रायबरेली	2872204	69.03	40.44	55.09
1	लखनऊ मण्डल	19468107			
7	फैजाबाद	2087914	70.73	43.35	57.48
8.	अम्बेडकरनगर	2025373	71.93	45.98	59.06
9.	सुल्तानपुर	3190926	71.85	41.81	56.90
10.	बाराबंकी	2673394	60.12	35.64	48.71
2.	फैजाबाद मण्डल	9977607			
11.	गोण्डा	2765754	56.93	27.29	42.99
12.	बलरामपुर	1684567	46.28	21.58	34.71
13.	बहराइच	2384239	46.32	23.27	35.79
14.	श्रावस्ती	1175428	47.27	18.75	34.25
3.	देवीपाटन धाम मण्डल	8009988			
15.	गोरखपुर	3784720	76.70	44.48	60.96
16.	महराजगंज	2167041	65.40	28.64	47.72
17.	देवरिया	2730376	76.31	43.56	59.54
18.	कुशीनगर	2891933	65.35	30.85	48.43
4	गोरखपुर मण्डल	11574070			
19	बस्ती	2068922	68.16	39.00	54.28
20.	संतकबीर नगर	1424500	67.85	35.45	51.71

21.	सिद्धार्थ नगर	2038598	58.68	28.35	43.97
5	बस्ती मण्डल	5532020			
22.	आजम गढ़	3950808	70.50	42.44	56.15
23.	मऊ	1849294	78.97	50.86	64.86
24.	बलिया	2752412	73.15	43.92	58.88
6.	आजमगढ़ मण्डल	8552514			
25.	वाराणसी	3147927	83.66	48.59	67.09
26.	चन्दौली	1639777	75.55	45.45	61.11
27.	गाजीपुर	3049337	75.45	44.39	60.06
28.	जौनपुर	3911305	77.16	43.53	59.98
7.	वाराणसी मण्डल	11748346			
29.	मिर्जापुर	2114852	70.51	39.89	56.10
30.	सन्त रविदास नगर	1352056	77.99	38.72	59.14
31.	सोनभद्र	1463468	63.79	34.26	49.96
8.	मिर्जापुर मण्डल	4930376			
32.	मुरादाबाद	3749630	56.66	33.32	45.74
33.	रामपुर	1922450	48.62	27.87	38.95
34.	बिजनौर	3130586	70.18	47.28	59.37
35.	ज्योतिबा फुले नगर	1499193	63.49	35.07	50.21
9.	मुरादाबाद मण्डल	10301859			
36.	इलाहाबाद	4941510	77.13	46.61	62.89
37.	कौशाम्बी	1294937	63.49	30.80	48.16
38.	प्रतापगढ़	2727156	74.61	42.63	58.67
39.	फतेहपुर	2305847	73.07	44.62	59.74
10.	इलाहाबाद मण्डल	11269450			
40.	कानपुर नगर	4137489	82.08	72.50	77.63
41.	कानपुर देहात	1584037	76.84	54.49	66.59
42.	फर्रुखाबाद	1577237	72.40	50.35	62.27
43.	कन्नौज	1385227	73.38	49.99	62.57
44.	इटावा	1340031	81.15	58.49	70.75
45.	औरैया	1179496	81.18	60.08	71.50
11	कानपुर मण्डल	11203517			
46.	झाँसी	1746715	80.11	51.21	66.69
47	जालौन	1455859	79.14	50.66	66.14

48	ललितपुर	977447	64.45	33.25	49.93
12	झाँसी मण्डल	4180021			
49.	बांदा	1500253	69.89	37.10	54.84
50.	चित्रकूट	800592	78.75	51.28	66.06
51.	हमीरपुर	1042374	72.76	40.65	58.10
52.	महोबा	708831	66.83	39.57	54.23
13.	चित्रकूट मण्डल	4052050			
53.	आगरा	3611301	97.32	48.15	64.97
54.	अलीगढ़	2990388	73.22	43.88	59.70
55	[illegible]	1333372	77.17	47.16	63.38
56	फिरोजाबाद	2045737	77.81	53.02	66.53
57.	मैनपुरी	1592875	78.27	52.67	66.51
58.	मथुरा	2069578	77.80	43.77	62.21
59.	एटा	2788270	69.15	40.65	56.15
14.	आगरा मण्डल	16431521			
60.	मेरठ	3001636	76.31	54.12	65.96
61.	बागपत	1164388	78.60	50.38	65.65
62.	गाज़ियाबाद	3289540	81.04	59.12	70.89
63.	गौतमबुद्ध नगर	1191263	82.55	54.56	69.78
64.	बुलन्दशहर	2923290	75.55	42.82	60.19
15.	मेरठ मण्डल	11570117			
65.	सहारनपुर	2848152	72.26	51.42	62.61
66.	मुजफ्फरनगर	3541952	73.11	48.63	61.68
16	सहारनपुर मण्डल	6390104			
67.	बरेली	3598701	59.12	35.13	47.99
68.	शाहजहाँपुर	2549458	60.53	34.68	48.79
69.	बदायूँ	3069245	49.85	25.53	38.83
70.	पीलीभीत	1643788	63.82	35.84	50.87
17.	बरेली मण्डल	10861192			
	उत्तर प्रदेश	166052859	70.23	42.98	57.36

अध्याय – 5

उर्दू शिक्षा

स्थापना

उर्दू निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989–90 में शासनादेश संख्या 4082/ 15(15) /89–40(26) /दिनांक 1989 दिनांक 19 जुलाई, 1989 द्वारा की गई। निदेशक (उर्दू), उ.प्र. लखनऊ का अस्थाई पद शासनादेश संख्या–1485/15(18)89–40(26)/1989 दिनांक 25 अप्रेल 1989 द्वारा सृजित तथा राजज्ञा संख्या–सी.एम. 102/15–18/90–40(26)/89 दिनांक 17–11–90 द्वारा वेतनक्रम 5900–6700 पुनरीक्षित वेतनमान रू. 18400–22400 में उच्चीकृत किया गया।

उद्देश्य

उर्दू निदेशालय की स्थापना उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु की गई थी। पूर्व में निदेशक (उर्दू) द्वारा उर्दू भाषा के शिक्षण व्यवस्था प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु किया जाता था। राजज्ञा संख्या–946/15–18–91 दिनांक 22 मार्च, 1991 द्वारा निदेशक (उर्दू) को उर्दू भाषा के शिक्षण एवं विकास कार्य के अतिरिक्त अन्य आधुनिक 14 भारतीय भाषाओं के अध्यापन, प्रचार–प्रसार का कार्य करने के लिये भी निर्देशित किया गया।

उर्दू भाषा की शिक्षा एवं उर्दू के विकास का कार्य

प्राथमिक स्तर

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यकों के बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में 5 से अधिक छात्र उपलब्ध होने पर उर्दू के एक अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयो में उर्दू पढ़मे के लिये अग्रिम छात्र पंजिका रखने तथा उसे भरे जाने हेतु पूर्व से ही स्थाई निर्देश है जिससे नये सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभिभावक अपने

बच्चो को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के समय उसको भाषा पढाने विषयक विवरण अंकित कर सके । सम्प्रति अग्रिम छात्र पंजिका प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहता है, के संबंध में सूचना देने का प्राविधान किया गया है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय सारणी में पृथक से व्यवस्था की जाती है।

परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा–6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में पढ़वाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 1994 में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1631 पदों पर उर्दू शिक्षकों के पदों को भरने की कार्यवाही की गई थी जिसमें 4667 पदों पर नियुक्तियॉ की गई थी। वर्ष 1995–96 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5255 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की गई जिसमें 3132 पदो पर नियुक्ति की जा चुकी है।

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना

भारत सरकार की शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता से अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों मे विद्यालय खोलने की योजना चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1994–95 से वर्ष 2003–04 तक 596 प्राथमिक विद्यालय तथा 735 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 मे 577 प्राथमिक तथा 144 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 1995–96 मे 577 प्राथमिक तथा 144 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये।

उर्दू शिक्षा संबंधी अन्य सुविधायें

(1) उर्दू प्रवीणता परीक्षा

राजकीय, स्थानीय निकायो एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों के उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रति वर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें जूनियर हाईस्कूल स्तर

तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा संचालित होती है। इन परिक्षाओं में हाईस्कूल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारी को प्रमाण पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारी को रू. 700/–,द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर्मचारी को रू. 500/–, तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर्मचारी की रू. 400/– तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण होने पर क्रमशः रू. 300/–, रू. 200/– तथा रू. 100/– का पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है।

(2) उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र

भारत सरकार द्वारा सचालित केन्द्रीय भाषा सस्थान, मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर गैर जानकार जूनियर तथा माध्यामिक स्तरों के लिये विभिन्न विषयों के अध्यापकों को उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का प्रशिक्षण आयोजित होता है। इस योजना के अन्तर्गत उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में खोला गया है। यहां शिक्षण की अवधि में अध्यापकों को पूरा वेतन तथा रू. 800/– मासिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय दिया जाता है और प्रोत्साहन स्वरूप इन प्रशिक्षत अध्यापकों को उर्दू भाषा का शिक्षण करने पर रू. 70/– प्रति माह का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यदि वे अपने विद्यालयों में कम से कम 10 छात्रों को उर्दू पढ़ाते है। वर्ष 2003–04 में उर्दू एवं अन्य भाषाओं में कुल 2 अभ्यर्थियों की सूची मैसूर भेजी गई।

(3) प्रशासनिक व्यवस्था

उर्दू भाषा के प्रचार एवं प्रसार तथा इसके विकसित करने हेतु पृथक उर्दू निदेशालय की स्थापना अप्रैल,1989 में की गई। वर्तमान में इस निदेशालय में निदेशक (उर्दू) तथा एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) का पद उपलब्ध है। मण्डल स्तर पर उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) का पद उपलब्ध है। जनपद स्तर पर उर्दू माध्यम से विद्यालयों की देख–रेख करने के लिये एक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है।

(4) उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा भाषा के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने के हेतु उ. प्र. उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। अकादमी का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को

उन्नत करना और लोकप्रिय बनाना है।

(5) उर्दू छात्रों की छात्रवृत्तियां

आकदमी की इस योजनान्तर्गत कक्षा 6 से पी–एच. डी. तक निर्धारित संख्या में उर्दू के प्राप्तांको के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

(6) पुस्तकों का प्रकाशन

कक्षा 1 से 8 तक की सभी पुस्तकों को उर्दू भाषा में भी मुद्रित कराया जाता है। इन पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य पाठ्य पुस्तक अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वस्तुस्थिति की जानकारी करने, कराने तथा आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश है।

उर्दू शिक्षा सम्बन्धा आकड़/उर्दू शिक्षकों के पद

(क)	प्राथमिक विद्यालय	15855
(ख)	उच्च प्राथमिक स्तर	5617

प्राथमिक स्तर

(1)	मान्यता प्राप्त मकतबों की संख्या	1151
(2)	अनुदानित मकतबों की संख्या	814
(3)	परिषदीय विद्यालयों की उर्दू अध्यापकों की संख्या	7589
(4)	उर्दू माध्यम प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की अनुमानित संख्या	2,68,000
(5)	उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या	12,75,000
	योग (मद सं0 4 व 5)	15,43,000

जूनियर हाईस्कूल स्तर

1– उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले प्राइवेट मान्यमता प्राप्त स्कूलों की संख्या 364

2– उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले परिषदीय जूनियर हाईस्कूल 445

प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्य

निदेशक (उर्दू), उ.प्र. का वेतनमान 5900–6700 पुनरीक्षित वेतनमान 18400–22400 सृजित है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित कार्यालय स्टाफ, पद सृजित किये गये है।

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1. वरिष्ठ सहायक	4500 – 7000	1
2. आशुलिपिक	4500 – 7000	1
3. वरिष्ठ लिपिक	4000 – 6000	1
4. कनिष्ठ लिपिक	3050 – 4590	3
5. स्टोर कीपर / कैशियर	3050 – 4590	1
6. ड्राईवर	3050 – 4590	1
7. चपरासी	2550 – 3200	2
	योग	10

चूकि उर्दू निदेशालय की स्थापना उर्दू भाषा के प्रचार – प्रसार, विस्तार एव प्रोत्साहन तथा प्राच्य भाषायें सस्कृत के विकास एवं प्रबंघ तथा प्रशासन के उद्देश्य से की गयी है और त्रिभाषा सूत्र योजना के लिये आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य करने हेतु बल दिया गया है, जिसे वर्ष 2003–2004 में सम्यक् रूप से संपादित किया गया और भविष्य में स्थायी प्रकृति के इन कार्यों का सम्पादन किया जाता रहेगा।

अतः निदेशक (उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) तथा स्वीकृत स्टाफ क अस्थाया पदा का अब स्थायी कर दिया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नाकिंत अधिकारी/कर्मचारीगण के स्थायी पदों को भी जो शिक्षा विभाग में स्वीकृत थे, निदेशक (उर्दू एवं प्राच्य भाषायें), उ0 प्र0 के नियंत्रण में रखा गया है।

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1. उप शिक्षा निदेशक (उर्दू)	10000 — 15200	1 तथा उनका समस्त स्टाफ
2. उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत)	10000 — 15200	1 तथा उनका समस्त स्टाफ
3. निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	8000 — 13500	1 तथा उनका समस्त स्टाफ
4. उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला	6500 — 10500	11 तथा उनका समस्त स्टाफ
5. उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम)	6500 — 10500	11 तथा उनका समस्त स्टाफ
6. आशुलिपिक	4000 — 6000	2
7. कनिष्ठ लिपिक	3050 — 4590	2
8. अर्दली	2550 — 3200	1
	योग	30

अध्याय – 6

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III

आच्छादित जनपद	: 32 जनपद : आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और उन्नाव।
अवधि	: 2000 – 2005
परियोजना लागत	: रु0 764.26 करोड़।
प्राप्त धनराशि	: रु0 630.85 करोड़।
व्यय	: रु0 555.40 करोड़।
वित्तीय व्यवस्था	: केन्द्र पुरोनिधानित योजना, 85 प्रतिशत भारत सरकार का अंश तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश। निर्माण कार्यों पर अधिकतम 33 प्रतिशत तथा प्रबन्धन व प्रशासन पर अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा निर्धारित 61 प्रतिशत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों पर।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य :

* नामांकन, सम्प्राप्ति और ड्राप आउट में बालक–बालिकाओं तथा सामाजिक वर्गों के अन्तर को 5 प्रतिशत से कम करना।

* सभी विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में ड्रापआउट की दर 10 प्रतिशत से कम करना।

* प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्रों की औसत सम्प्राति के बेसलाइन सर्वेक्षण में मापित स्तरों में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि करना और भाषा और गणित की दक्षताओं की सम्प्राति सुनिश्चित करना तथा अन्य दक्षताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत सम्प्राति स्तर सुनिश्चित करना।

* मानक के अनुसार सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1से 5) जहाँ तक संभव हो प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा अथवा उसके समकक्ष वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना।

* प्रदेश एवं जनपद स्तरीय संस्थाओं और संगठनों की प्राथमिक शिक्षा के नियोजन, प्रबन्धन और मूल्यांकन की क्षमता का सम्बर्द्धन करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां :–

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

ठहराव में वृद्धि

गुणवत्ता में सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन।
- 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
- जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा पर बल।
- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालक–बालिका एवं सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।

  2010 तक शत–प्रतिशत ठहराव।

केन्द्र–राज्य अंशदान का प्रतिशत :

सर्वशिक्षा अभियान प्रारभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय पोषण का प्रतिशत निम्नवत है :

	भारत सरकार	उत्तर प्रदेश सरकार
	प्रतिशत	प्रतिशत
• 9वीं पंचवर्षीय योजना (2002 तक)	85	15
• 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)	75	25
• 10वी0 पंचवर्षीय योजना के बाद (2007 के बाद)	50	50

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आच्छादन :

1.	16 जनपद
2001–02 से कक्षा 1–8 के कार्यक्रम	कानपुर नगर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर बादा, चित्रकूट, इटावा, ओरेया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोई
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम II एवं III के 54 जनपद
2002–2003 से कक्षा 6–8 के कार्यक्रम	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, बस्ती, संतकबीरनगर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, फिरोजाबाद, बाराबंकी, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा, झासी, बागपत, मथुरा, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, महोबा, मिर्जापुर, फतेहपुर, जालौन, जौनपुर, बलिया, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, उन्नाव, रायबरेली, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बुलन्दशहर, मेरठ।
2003–04 से सभी जनपदों में कक्षा 1–8 के कार्यक्रम	

18 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम II संचालित है, जिसकी अवधि जून 2003 में पूर्ण हो चुकी है। इन जनपदों को सर्व शिक्षा अभियान से अच्छादित कर दिया गया है। 36 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III संचालित है, जिसकी अवधि दिसम्बर 2005 तक है। इन जनपदों में भी सर्व शिक्षा अभियान लागू है।

इस प्रकार प्रदेश के सभी 70 जनपदों में प्रारभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के कार्यक्रम संचालित हो रहे है।

परियोजना की भौतिक उपलब्धियाँ

निर्माण कार्य

प्राथमिक विद्यालय भवन

	लक्ष्य (2002–03 तक	उपलब्धि (निर्मित विद्यालय भवन	प्रतिशत उपलब्धि	निर्माणाधीन
डी0पी0ई0पी0 – III	5479	5033	92	446
सर्वशिक्षा अभियान				
प्राथमिक विद्यालय	1117	894	80	223
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2293	1614	70	679
योग	3410	7541	242	1348

वर्ष 2003–04

	लक्ष्य	
प्राथमिक विद्यालय (नवीन)	3111	☐ सभी स्थलों का चयन हो चुका है।
प्राथमिक विद्यालय (पुननिर्माण)	708	☐ उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु नवीन डिजाइन विकसित किए जा चुके हैं।
उच्च प्राथमिक विद्यालय (नवीन)	5353	
उच्च प्राथमिक विद्यालय (पुननिर्माण)	317	
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	4262	☐ धनराशि हस्तातरित की जा चुकी है। सभी निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये है।
शौचालय	4268	
हेण्डपम्प	1214	

अन्य निर्माण कार्य प्रगति

2002–03 तक के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति

कार्यक्रम	अतिरिक्त कक्षाकक्ष				शौचालय				हैण्डपम्प			
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	निर्माणा0	लक्ष्य	उप0	%	निर्माणा0	लक्ष्य	उप0	%	निर्माणाधीन
डी0पी0ई0पी0 III	10140	9785	95	355	12452	12438	100	14	55	55	100	—
सर्वशिक्षा अभियान	5947	4184	70	1763	3084	2712	88	372	1111	374	34.0	737

कार्यक्रम	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र				न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र			
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	निर्माणाधीन	लक्ष्य	उप0	%	निर्माणाधीन
डी0पी0ई0पी III	377	360	96	17	3854	3739	97	115
सर्वशिक्षा अभियान	12	8	67	4	112	110	98	2

शिक्षकों / शिक्षामित्रों (पैरा टीचर्स) की प्रगति

डी0पी0ई0पी0 II, डी0पी0ई0पी0 –III एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत एवं भरे गये शिक्षकों व शिक्षामित्रों की प्रगति निम्नवत् है – (2001–02 तक स्वीकृत के सापेक्ष)

परियोजना	शिक्षक			शिक्षामित्र			योग		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
डी0पी0ई0पी–III	2167	2167	—	12599	11818	781	14766	13985	781
सर्व शिक्षा अभियान	6108	516	5592	6108	5579	529	12216	6095	6121
प्रा0 उच्च प्रा0	1350	1350	—	—	—	—	1350	1350	0
योग	9625	4033	5592	18707	17397	1310	28332	21430	6902

वर्ष 2002 – 03 व 2003 – 04 में स्वीकृत पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है :–

आइटम / मद	2002–03		2003 – 04		योग	
	विद्यालय	अध्यापक	विद्यालय	अध्यापक	विद्यालय	अध्यापक
नवीन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक	718 @1	718	3111 @1	3111	3829	3829
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान एवं सहायक अध्यापक (1 + 2)	1767 @3	5301	5353 @3	16059	7120	21360
शिक्षा मित्र	–	1088	–	67111	–	68199
ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0	–	–	–	–	18086	–

* 67111 शिक्षा मित्रों के सापेक्ष 12432 शिक्षा मित्र तैनात हो चुके है। शेष के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण जनपदों में गतिमान है। 99565 प्रधानाध्यापकों / प्रभारी में से 78250 प्रधानाध्यापकों / प्रभारी का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।
- विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण गतिमान है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयवार शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित की गयी है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों का विषयवार प्रशिक्षण किया जायेगा। विषयवार प्रशिक्षण माड्यूल विकसित हो चुके हैं।
  - गणित का माड्यूल तैयार हो चुका है।
  - विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, एवं भाषाएं–हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के मॉड्यूल विकसित हो चुके है।
  - मॉड्यूल का मुद्रण शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से पाठ्यपुस्तक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
  - मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 31 दिसम्बर 2004 तक पूर्ण किये जाने की कार्ययोजना है।
  - जनवरी 2004–मार्च 2004 की अवधि में अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होंगे।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम

शिक्षा गारंटी केन्द्र	लक्ष्य	संचालित
डी0पी0ई0पी0–III	3201	2902
सर्व शिक्षा अभियान	6020	4029
योग	9221	6931

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र	लक्ष्य	संचालन
डी0पी0ई0पी0–III	3124	2626
सर्व शिक्षा अभियान	12066	7035
कुल	15190	9661

कुल नामांकन 3.49 लाख

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

शैक्षिक सत्र 2003–2004 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया है। कुल 122 लाख बच्चे लाभान्वित हुए।

सामुदायिक सहभागिता

- बेसिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु 42058 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर सक्रिय बनाया गया। शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण गतिमान है। इसके अतिरिक्त 6826 माता शिक्षा संघ एवं 3650 महिला अभिप्रेरण समूह गठित किये गये तथा सक्रिय बनाये गये।
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर सक्रिय बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया गया है। प्रशिक्षण माह जनवरी 2004 में प्रारम्भ किया गया।
- बालिका शिक्षा में सुधार हेतु 700 मीना मंच गठित किये गये है। 1163 संकुलों में मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं ग्रामों में 3358 मीना–अभियान कार्यक्रम तथा 2160 माँ–बेटी आयोजित किये गये।

समेकित शिक्षा

	वर्ष 2002 – 2003	वर्ष 2003 – 2004
1. चिन्हित बच्चों की संख्या	217799	247063
2. मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की संख्या	147052	174172 (सूचना अभी एकत्रित हो रही है)
3. मेडीकल एसैसमेन्ट शिविरों की संख्या	445	302 (कैम्प आयोजित हो रहे हैं)
4. बच्चों की संख्या जिनका एसैसमेन्ट किया गया	37801	36052
5. प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की	823 (2002–03 तक)	729
6. प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	50918 (2002–03 तक)	अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है।

2003–04 में अध्यापकों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना 16 सर्व शिक्षा अभियान जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के दो–दो अध्यापकों को एवं डी0 पी0 ई0 पी0 के 54 जनपद के चार विकास खण्डों को छोड़कर शेष विकासखण्डों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के दो–दो एवं चयनित चार विकास खण्डों के उच्च प्राथमिक के दो–दो अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है। एक विकासखण्ड में प्रशिक्षण के कम से कम 8 फेरे एवं अधिकतम 12 फेरे (5–5 दिन के) आयोजित किये जायेगें।

7. विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	–	14 शिक्षित युवा सेवा समिति बस्ती के सहयोग से विजुअल डिवाइस के प्रयोग के सम्बन्ध में
8. उपकरण प्राप्त लाभार्थियो की संख्या	26143 (2002–03 तक)	5233 (2003–04)

स्कूल से बाहर बच्चों का विवरण एवं नामांकन की प्रगति

1	स्कूल से बाहर कुल बच्चों की संख्या	40.59 लाख
2.	30 सितम्बर, 2003 तक नामांकन	35.10 लाख
3.	अवशेष बच्चों की संख्या	5.49 लाख
4.	अवशेष बच्चों के नामांकन की रणनीति	
	1.27 लाख	नवीन 2327 शिक्षा गारंटी केन्द्र एवं 2746 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में
	4.22 लाख	8432 ब्रिज कोर्स में
	5.49 लाख	

अध्याय–7

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान

उ0 प्र0, इलाहाबाद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्ययोजना – 1992 के आधार पर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना वर्ष 1995 में की गयी। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका संचालन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन गठित समिति द्वारा किया जाता है। संस्थान के क्रियाकलापों का प्रबन्धन निदेशक द्वारा कार्यकारिणी समिति जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव (शिक्षा) / सचिव (बेसिक शिक्षा) उ0 प्र0 शासन होते है, के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2000–01 से यह संस्थान राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस संस्थान का प्रमुख प्रयोजन विकेन्द्रीकृत शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, शैक्षिक शोध, नवाचार तथा नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियों का प्रसार और विस्तार करना है। राज्य के निर्धारित भूमिका और कार्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत के हिन्दी राज्यों की शैक्षिक नियोजन और प्रबन्धन के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह क्षेत्रीय शोध और संसाधन (रीजनल रिसर्च एण्ड रिसोर्स सेन्टर) के रूप में कार्य कर रहा है। अपनी बहुआयामी गतिविधियों के सफलता पूर्वक संचालन के फलस्वरूप संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ है तथा अपनी अलग पहचान बनायी है।

उद्देश्य : इस संस्थान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है –

- विकेन्द्रित शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों / अभिकर्मियों के दक्षता संवर्द्धन हेतु सेवापूर्व (इंडक्शन / आधारभूत) और सेवारत बोधात्मक / पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य, संभाग, जनपद तथा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन करना।

- विद्यालयीय शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षा के नियोजन और प्रबन्धन के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन और प्रयोगों का संचालन करना।
- प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन में व्यावसायिक तथा संसाधन अनुसमर्थन प्रदान करना।
- शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन और आकलन के क्षेत्र में राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारों तथा सूचनाओं का अभिलेखन तथा प्रसार करना।
- राज्य स्तरीय तथा राज्येतर राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों तथा अभिकरणों से शैक्षिक नियोजन प्रबंधन तथा आकलन विषयक शोध, अनुश्रवण और मूल्यांकन तथा अन्य विकासोन्मुख कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग, संपर्क तथा समन्वय (नेटवर्किंग) स्थापित करना।
- विभिन्न नियोजन विधाओं में शोध गतिविधियों (तुलनात्मक अध्ययनों सहित) का संचालन, समुन्नयन और समन्वयन करना।
- उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त अनुरोध करने पर भारत के अन्य राज्यों तथा अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

संगठनात्मक संरचना :

निदेशक के नेतृत्व में अकादमिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए संस्थान में पांच विभाग एवं दो इकाइयां है।

विभाग

- √ नीति एवं नियोजन
- √ प्रबंधन
- √ शैक्षिक वित्त
- √ शोध, मूल्याकन एवं शैक्षिक नवाचार
- √ सूचना प्रणाली प्रबंधन (एम0आई0एस0)

इकाई

- प्रशिक्षण
- शोध

संस्थान की संगठनात्मक संरचना का लेखा चित्रीय निरूपण इस प्रकार :–

सामान्य समिति (जनरल बॉडी) : शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति (एंवजीटिव कमेटी) : प्रमुख सचिव (शिक्षा) / सचिव (बेसिक शिक्षा) की अध्यक्षता मे गठित

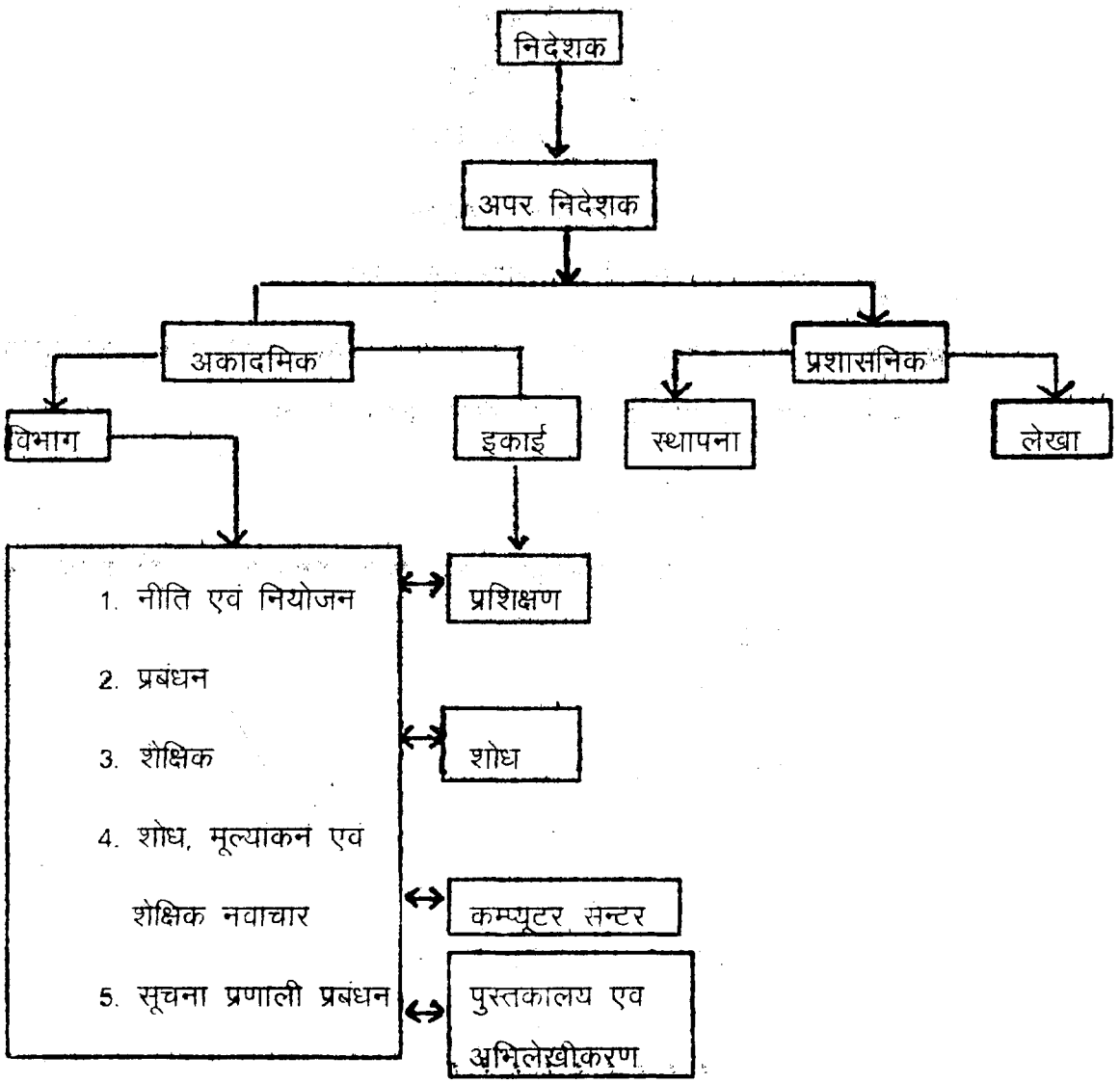

संस्थान में सृजित पदों का विवरण :

संस्थान में कुल 49 पद सृजित है। इनमें 16 पद अकादमिक संकाय तथा 33 पद अकादमिकेतर पक्ष के है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	पद	वेतनक्रम रु0	पदों की संख्या
	अकादमिक		
1.	निदेशक	18400–22400	01
2	अपर निदेशक	14300–18300	01
3.	विभागाध्यक्ष	12000–16500	05
4.	प्रवक्ता / प्रशिक्षण अधिकारी / शोध अधिकारी / पुस्तकालयध्यक्ष / कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000–13500	09
	अकादमिकेतर	10000–15200	02
5.	वरिष्ठ लेखा0 / प्रशासनिकअधि0		
6.	सहायक लेखाधिकारी / रिसर्च एसोशिएट / ट्रेनिंग एसोसिएट / सहायक पुस्तकालयध्यक्ष	6500–10500	04
7.	शोध सहायक / प्रशिक्षण सहायक / छात्रावास अधीक्षक / कम्प्यूटर आपरेटर / स्टेनोग्राफर / लेखाकार	5000–8000	09
8.	टाइपिस्ट / पुस्तकालय सहायक / स्वागती / केयरटेकर / ड्राइ0 / ऑप0	3050–4500	11
9.	मशीनमैन / चपरासी	2610–3540	7
	योग		49

कार्यक्षेत्र

सस्थान द्वारा कृत कार्यो को निम्नलिखित शीषकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है :

1. **प्रशिक्षण**

2. शोध

3. सेमिनार / कार्यशाला / संगोष्ठी

4. प्रकाशन और प्रसार

प्रशिक्षण गतिविधियां

संस्थान द्वारा विभिन्न स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है :–

सेवापूर्व (इंडक्शन / आधारभूत) प्रशिक्षण

सेवारत प्रशिक्षण – बोधात्मक / पुनर्बोधात्मक / विशिष्ट संदर्भ आधारित क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2003–04 में संस्थान द्वारा विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों / अभिकार्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें कुछ प्रमुख संवर्ग इस प्रकार हैं –

- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य
- पी. ई. एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
- सूचना प्रबन्धन प्रणाली के अभिकर्ता / कम्प्यूटर ऑपरेटर
- जिला समन्वयक
- ब्लॉक / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक / सह समन्वयक
- लोक जुम्बिश – राजस्थान के ब्लॉक स्तरीय परियोजना अधिकारियों / शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण
- जनशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण

विशिष्ट संदर्भ आधारित प्रशिक्षण

प्रशिक्षण आवश्यकताओ के आकलन / विश्लेषण तथा पश्चपोषण के फलस्वरूप समयानुकूल, प्रासंगिक महत्वपूर्ण प्रकरणों / विषयों पर भी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहें है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकरणों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये –

- मीना आधारित गुणातमक शिक्षा संबर्द्धन (विशेष संदर्भ : बालिका दीक्षा) प्रशिक्षण कार्यक्रम
- जनपदों के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण
- ई0 एम0 आई0 एस0 डाटा डिसेमिनेशन प्रशिक्षण

कार्यशाला / विचार गोष्टियों का आयोजन

विभिन्न समकालीन समस्याओं पर विचार विमर्श करने तथा शासन को नीति–निर्धारण में सहयोग और परामर्श प्रदान करने की दृष्टि से संस्थान में कार्यशालाओं और विचार गोष्ठियों का समय – समय पर आयोजन एक नियमित कार्य है। वित्तीय वर्ष 2003 – 04 में आयोजित कतिपय महत्वपूर्ण कार्यशालाएं / विचार गोष्ठियां इस प्रकार है –

- सर्वशिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला
- क्रियात्मक शोध कार्यशाला
- "प्रारंभिक शिक्षा : बच्चों का मूल अधिकार : विधिक पक्ष तथा क्रियान्वयन के अन्य आयाम" विषयक संगोष्ठी

शोध क्रियाकलाप :

सीमैट शोध समस्याओं के चयन में वर्तमान समय की शैक्षिक चुनौतियों पर सदैव ध्यान केन्द्रित करता रहता है। विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संवैधानिक प्रतिबद्धता की शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु पहुंच, नामांकन ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर शोध करता है। इस क्षेत्र में जहां नीति नियामकों नीति निर्धारण में उपयोग हेतु से अवगत कराता है वही अध्येताओं, नियोजकों और प्रबंधकों के क्षमता संबर्द्धन पर भी बल दिया जाता है।

संस्थान की शोध गतिविधियाँ :

- सभी के लिये शिक्षा परियोजना कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शोध प्रशासन
- शोध परियोजनाएं (सहयुक्त अथवा पोषित)
- क्रियात्मक शोध (किसी चुने हुए विकास खण्ड में)
- शोध सेमिनार / कार्यशालाएं
- प्रभाव / हस्ताक्षेप / मूल्यांकन अध्ययन

अपने स्थापना काल से वर्ष 2002 –03 तक संस्थान ने 60 से अधिक शोध अध्ययन / परियोजनाएं राज्य स्तर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर पूरे किये है। वित्तीय वर्ष 2003 –04 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध अध्ययनों को पूर्ण किया गया है।

- सक्सेसफुल स्कूल मैनजमेंट : ए केस स्टडी (आई0 आई0 ई0 पी0 पेरिस द्वारा पोषित)
- इवैलुएशन स्टडी ऑफ पैराटीचर्स
- इवैलुएशन स्टडी ऑफ ई. सी. सी. प्रोग्राम
- इवैलुएशन स्टडी ऑफ आलटरनेटिव स्कूलिंग

क्रियात्मक शोध :

संस्थान की देखरेख और मार्गदर्शन में विभिन्न जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2002 – 03 में 100 से अधिक क्रियात्मक शोध प्रकरणों पर कार्य किया गया।

प्रकाशन :

संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उद्भुत नवाचारों, अभिनव प्रवृत्तियों, नवीन ज्ञान और कौशल से शिक्षा जगत को अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण संदर्शिकाओं, शोध प्रतिवेदनों आदि से संबधित साहित्य विकसित और प्रकाशित होते रहते है। संदर्शिकाओं के माध्यम से प्राप्त पश्चपोषण तथा बदलते हुए परिवेश के अनुसार संदर्शिकाओं का परिमार्जन और संशोधन होता

रहता है। इन प्रकाशनों को संबंधित शिक्षकों, प्रशिक्षकों, शैक्षिक आयोजकों आदि को उपलब्ध कराना भी संस्थान सुनिश्चित करता है।

संस्थान के कतिपय महत्वपूर्ण प्रकाशन निम्नवत् है –

1. **सीमैट न्यूज** : (4 अंक) यह एक सूचना प्रधान त्रैमासिक प्रकाशन है। इसमें संस्थान की पहल और गतिविधियों का उल्लेख रहता है।

2. **अभिनव** : (4 अंक) यह त्रैमासिक शैक्षिक प्रबंधन पत्रिका है। इसमें शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर लेख/पत्रक प्रकाशित होते रहते है। संस्थान के संकाय सदस्यों एवं बाह्य संस्थाओं के विशेषज्ञ एवं आधारिक स्तर पर कार्य करने वाले शैक्षिक अभिकर्मियों के अनुभवों एवं सफलता के आख्यानों को प्रकाशित किया जाता है।

3. **संवर्द्धन** : सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के दायित्वों एवं कार्य के सफल संपादन में सहयोग प्रदान करने के लिए इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

4. **समाधान** : जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों एवं अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों को शोध प्रविधियों से अवगत कराने के लिये इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

5. **सहयोग** : प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में समुदाय के निहितार्थ को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक अभिकर्मियों को सामुदायिक सहभगिता के विभिन्न चरणों से अवगत कराने के लिये इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

6 **संकल्प** : यह प्रधानाध्यापका क नामत्त राचत प्राशेक्षण सदाशेका है। इसका उद्देश्य प्रधानाध्यापकों को शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में नयी चुनौतियों को अंगीकार करते हुए उनमें प्रभावी नेतृत्व क्षमता का संवर्द्धन करना है।

7. **वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संदर्शिका** : यह माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए तैयार की गई है। इनमें उन सभी पक्षों

– अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षों को सम्मिलित किया गया है। जिनकी वरिष्ठ अधिकायिों की नित्यप्रति के कार्य निष्पादन में आवश्यकता पड़ती रहती है।

8. **स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य तथा क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण संदर्शिका** : इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास प्रचार्यो तथा क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओ की पहचान के फलस्वरूप की गई है।

9. **कार्यालय अभिकर्मी (उच्च शिक्षा) प्रशिक्षण संदर्शिका** : इस संदर्शिका को महाविद्यालयों के कार्यालय अधीक्षकों तथा लेखाकारों के प्रशिक्षणार्थ विकसित किया गया है।

10. **सम्बल** : यह ब्लाक ससाधन / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के समन्वयकों को अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संदर्शिकाओं के रूप में विकसित की गई है।

वर्ष 2003–04 मे निम्नलिखित संदर्शिकाओं की रचना हुई है। यह उल्लेखनीय है कि संदर्शिका – निर्माण के सभी निर्धारित चरणों (प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन, आलेख की तैयारी, ट्राई आउट तथा उल्लेख के संशोधनोंपरांत संदर्शिका को अन्तिम रूपदेना) का अनुसरण किया गया है।

- **संयोजन** : यह संदर्शिका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थों के संकाय सदस्यों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विकसित की गई है। इसमें डायट के संकाय सदस्यों के कर्त्तव्य/उत्तरदायित्व और कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकरणों का समावेश है।

- **संदर्शन** : यह संदर्शिका 'क्रियात्मक शोध' विषय पर तैयार की गई है। इसमें क्रियात्मक शोध की संकल्पना, समस्या की पहचान, परिकल्पनाओं का निर्माण क्रियान्वयन तथा आख्या लेखन आदि सभी महत्वपूर्ण पक्षों को सम्मिलित किया गया है।

- **समर्थ** : यह संदर्शिका विशेष रूप से भारत के अन्य प्रदेशों के ब्लाक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के उपयोगार्थ विकसित की गई है।

- **संदर्भ** : इस संदर्शिका का संबंध कार्यालय – प्रबंधन से है। कार्यालय अधीक्षकों तथा अन्य कार्यालयों कर्मियों के क्षमता संबर्द्धन हेतु इसमें उन सभी प्रकरणों को समाहित किया गया है। जो प्रभावी कार्यालय प्रबंधन हेतु आवश्यक है।

राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की सहभागिता :

- संस्थान के निदेशक तथा विभागाध्यक्ष (नीति एवं नियोजन) ने गुणात्मक वृद्धि के लिये 'सक्सेसफुल स्कूल मैनेजमेन्ट'' – ए केस स्टडी शोध के क्रियान्वयन विषयक आई. आई. ई. पी. पेरिस (युनेस्को) के तत्वावधान में 6–11 अप्रैल 2003 तक ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

- संस्थान के निदेशक, प्रवक्ता (ई.एम.आई.एस.) के साथ उक्त शोध की प्रारम्भिक आख्या के प्रस्तुतीकरण हेतु काठमांडू (नेपाल) में आयोजित कार्यशाला (दिनांक 15–18 दिसम्बर 03) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के मिशन में भाग लिया।

- संस्थान के रिसर्च एसोसिएट ने गोविन्दबल्लभ सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद द्वारा जेण्डर राइटस, च्वाइस ऐण्ड व्यालेंस' विषयक संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। इसी संस्थान द्वारा आयोजित दूसरी संगोष्ठी 'मध्याहन भोजन योजना का भविष्य' विषयक संगोष्ठी में भी रिसर्च एसोसिएट ने भाग लिया।

- संस्थान के प्राशसिनक अधिकारी ने यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की जनसहभागिता आधारित कार्यशाला में भाग लिया।

- नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विद्यालयों की गुणवत्ता के सुधार हेतु अनुसधान विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला (29 जुलाई 07 अगस्त 03) में संस्थान के प्रवक्ता (ई0एम0आई0एस0) ने प्रतिभाग किया।

- नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'मूल अधिकार के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा का निहितार्थ विषयक अभिमुखीकरण कार्यशाला (5–8 अगस्त 03) में संस्थान के

विभागाध्यक्ष (प्रबंधन) ने प्रतिभाग किया।

- संस्थान के एक सदस्य ने मीना मंच हेतु राज्य परियोजना कार्यालय में आयोजित (21–23 अगस्त) में लेखक के रूप में भाग लिया।
- संस्थान के निदेशक ने इन्टरनल ज्वांइट रिव्यू मिशन के सदस्य के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहयोग दिया।
- संस्थान के प्रवक्ता (शैक्षिक वित्त) ने नीपा द्वारा आयोजित शिक्षा का वित्तीय प्रबंघन संबंधी प्रशिक्षण (15–19 दिसंबर) में भाग लिया।
- संस्थान द्वारा नीपा नई दिल्ली के तत्वावधान में 'इन्टरनेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशनलन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशनप कोर्स के 16 देशों के प्रतिभागियों के इलाहाबाद भ्रमण का संयोजन किया गया।
- संस्थान द्वारा 'ऐन एप्रोच पेपर आन एजुकेशन फॉर आल उत्तर प्रदेश' तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।
- मानव संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में नीपा गई नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी ''एजुकेशन फॉर आलः आफटर डकार' में निदेशक ने उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभैमीकरण की रणनीति और कार्ययोजना प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी में संस्थान के विभागाध्यक्ष (सूचना प्रबंधन प्रणाली) ने भी भाग लिया

तालिका–1

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

विद्यालय का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
बालक	29459	35156	50503	78606	77111	86361	119404
बालिका	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
योग	31979	40083	62127	78606	77111	86361	119404
उच्च प्राथमिक							
बालक	2386	3674	6779	10355	11753	16618	30743
बालिका	468	661	2008	3200	3319	3021	4684
योग	2854	4335	8787	13555	15072	19639	35427

तालिका–2

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

विद्यालय का स्तर एवं छात्र	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
बालक	2392175	3170868	6748031	6593572	7893063	8076496	16773000
बालिका	334948	787660	3867691	2774829	4068501	4478442	6034000
योग	2727123	3958528	10615722	9368401	11961564	12554938	22807000
उच्च प्राथमिक							
बालक	278339	446139	1095740	1412783	2026314	2028155	4403000
बालिका	69798	103688	285166	391731	721254	910505	3295000
योग	348137	549827	1380906	1804514	2747568	2938660	7698000

तालिका–3

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापको की संख्या

विद्यालय का स्तर एवं अध्यापक	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
पुरूष	65110	87340	170857	203712	209120	222131	200046
महिला	5189	11714	32502	44042	57037	69799	63146
योग	70299	99054	203359	247754	266157	291930	263192
उच्च प्राथमिक							
पुरूष	11605	19057	41306	58775	79914	76992	55073*
महिला	2900	4202	10880	14326	19415	21933	20772
योग	14505	23259	52186	73101	99329	98925	75845

* वर्ष 2003–2004 के स्तम्भ में केवल परिषदीय अध्यापकों की संख्या दर्शायी गई है जबकि अन्य वर्षों में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या दर्शायी गई है।

तालिका 4

30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार प्राथमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्र.सं.	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या		
			कुल	बालिका	कुल	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लखनऊ	1771	608000	214000	2647	1588	1059
2.	सीतापुर	2746	474000	103000	7046	5843	1203
3.	लखीमपुर खीरी	2200	420000	93000	5051	3773	1278
4.	हरदोई	2838	437000	103000	5651	4041	1610
5.	उन्नाव	2127	311000	76000	4751	3572	1179
6.	रायबरेली	1926	341000	73000	5712	4590	1122
लखनऊ मण्डल		**13608**	**2591000**	**662000**	**30858**	**23407**	**7451**
7.	फैजाबाद	1392	285000	73000	3262	2421	841
8.	अम्बेडकर नगर	1317	323000	76000	3420	2686	734
9.	सुल्तानपुर	2354	463000	154000	6580	5313	1267
10.	बाराबंकी	1830	368000	107000	6384	4980	1404
फैजाबाद मण्डल		**6893**	**1439000**	**410000**	**19646**	**15400**	**4246**
11.	गोण्डा	1837	389000	104000	3834	2871	963
12.	बलरामपुर	1129	247000	61000	2911	2232	679
13.	बहराइच	1638	354000	93000	3857	2850	1007
14.	श्रावस्ती	910	98000	17000	2098	1540	558
देवीपाटनधाम मण्डल		**5514**	**1088000**	**275000**	**12700**	**9493**	**3207**
15.	गोरखपुर	2143	549000	181000	6370	5088	1282
16.	महराजगंज	1386	325000	83000	3026	2200	826
17.	देवरिया	2028	402000	106000	4468	3451	1017
18.	कुशीनगर	1749	397000	93000	4430	3352	1078
गोरखपुर मण्डल		**7306**	**1673000**	**463000**	**18294**	**14091**	**4203**
19	बस्ती	1899	332000	104000	5189	3952	1237
20.	सतकबीरनगर	910	160000	37000	991	822	169
21.	सिद्धार्थनगर	1406	250000	39000	3782	2892	890
बस्ती मण्डल		**4215**	**742000**	**180000**	**9962**	**7666**	**2296**
22.	आजमगढ़	2476	774000	277000	7975	6342	1633
23.	मऊ	1754	348000	98000	3148	2284	864
24.	बलिया	2034	516000	174000	4769	3598	1171
आजमगढ़ मण्डल		**6264**	**1638000**	**549000**	**15892**	**12224**	**3668**

25.	वाराणसी	1207	366000	94000	4079	3201	878
26.	चन्दौली	906	243000	54000	3478	2599	879
27	गाजीपुर	1994	399000	103000	4894	3681	1213
28.	जौनपुर	2514	596000	171000	6676	5451	1225
वाराणसी मण्डल		6621	1604000	422000	19127	14932	4195
29.	मिर्जापुर	1519	316000	93000	3338	2534	804
30.	भदोही	600	191000	34000	2433	1694	739
31.	सोनभद्र	1180	189000	21000	2003	1768	235
मिर्जापुर मण्डल		3299	696000	148000	7774	5996	1778
32.	मुरादाबाद	2541	228000	37000	4492	3459	033
33.	जे0 पी0 नगर	1232	307000	34000	2535	1903	632
34	रामपुर	1663	315000	64000	3485	2511	974
35.	बिजनौर	2520	326000	103000	3973	3170	803
मुरादाबाद मण्डल		7956	1176000	238000	14485	11043	3442
36.	इलाहाबाद	2691	883000	231000	6029	4632	1397
37.	कौशाम्बी	763	182000	33000	2500	1771	729
38.	फतेहपुर	1793	346000	91000	4725	3688	1037
39.	प्रतापगढ़	1859	384000	96000	5266	4113	1153
इलाहाबाद मण्डल		7106	1795000	451000	18520	14204	4316
40.	कानपुर नगर	2631	328000	93000	3102	2126	976
41.	कानपुर देहात	1488	232000	54000	3260	2387	873
42.	फर्रूखाबाद	1281	250000	60000	2793	2129	664
43.	कन्नौज	1137	223000	51000	2430	1833	597
44.	इटावा	1565	192000	50000	3835	2804	1031
45.	औरेय्या	1274	182000	44000	3470	2526	944
कानपुर मण्डल		9376	1407000	352000	18890	13805	5085
46.	झांसी	1578	228000	50000	2751	2073	678
47.	जालौन	1993	217000	53000	2524	1953	571
48.	ललितपुर	992	149000	28000	1650	1239	411
झांसी मण्डल		4563	594000	131000	6925	5265	1660
49.	बांदा	1446	193000	39000	3191	2417	774
50.	चित्रकूट	778	142000	26000	2013	1575	438
51	हमीरपुर	987	146000	33000	1807	1334	473
52.	महोबा	673	110000	37000	1373	1030	343
चित्रकूट मण्डल		3884	591000	135000	8384	6356	2028
53.	आगरा	3483	556000	152000	3867	2510	1357
54.	अलीगढ़	2413	308000	64000	2837	1973	864

55.	हाथरस	1198	227000	56000	2177	1699	478
56.	फिरोजाबाद	1571	265000	61000	2941	2358	583
57.	मैनपुरी	1727	175000	43000	3284	2650	634
58.	मथुरा	1749	257000	73000	3095	2222	873
59.	एटा	2446	347000	141000	5223	4016	1207
आगरा मण्डल		14587	2135000	590000	23424	17428	5996
60.	मेरठ	1517	351000	114000	3986	3045	941
61.	बागपत	668	176000	34000	1856	1437	419
62.	गाजियाबाद	1539	277000	78000	2291	1673	618
63.	गौतमबुद्धनगर	637	121000	31000	1406	1003	403
64.	बुलन्दशहर	1948	377000	141000	4244	3114	1130
मेरठ मण्डल		6309	1302000	398000	13783	10272	3511
65.	सहारनपुर	1896	399000	161000	3847	2836	1011
66.	मुज्जफरनगर	2294	421000	143000	4317	3146	1171
सहारनपुर मण्डल		4190	820000	304000	8164	5982	2182
67.	बरेली	2324	411000	134000	4581	3504	1077
68.	शाहजहांपुर	2317	440000	141000	4434	3397	1037
69.	बदायू	1875	367000	157000	4821	3681	1140
70.	पीलीभीत	1197	298000	94000	2528	1900	628
बरेली मण्डल		7713	1516000	526000	16364	12482	3882
महायोग		119404	22807000	6034000	263192	200046	63146

नोट : आँकड़े अनुमानित हैं।

तालिका 5

30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्र.सं.	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या		
			कुल	बालिका	कुल	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लखनऊ	628	180000	82000	738	395	343
2.	सीतापुर	824	220000	92000	2425	1761	664
3.	लखीमपुर खीरी	529	55000	22000	1363	1010	353
4.	हरदोई	568	142000	54000	1695	1269	426
5.	उन्नाव	834	85000	38000	1136	567	569
6.	रायबरेली	442	151000	65000	1319	982	337
लखनऊ मण्डल		3865	833000	353000	8676	5984	2692
7.	फैजाबाद	486	101000	46000	725	398	327
8.	अम्बेडकर नगर	494	119000	56000	574	270	304
9.	सुल्तानपुर	495	66000	36000	1269	890	379
10.	बाराबंकी	463	101000	64000	1284	973	311
फैजाबाद मण्डल		1938	387000	202000	3852	2531	1321
11.	गोण्डा	451	106000	46000	878	602	276
12.	बलरामपुर	312	53000	23000	857	650	207
13.	बहराइच	309	94000	38000	624	419	205
14.	श्रावस्ती	256	16000	6000	849	631	218
देवीपाटनधाम मण्डल		1328	269000	113000	3208	2302	906
15.	गोरखपुर	682	224000	106000	2045	1633	412
16.	महराजगंज	331	87000	36000	669	396	273
17.	देवरिया	604	204000	79000	1306	1091	215
18.	कुशीनगर	432	171000	69000	396	279	117
गोरखपुर मण्डल		2049	686000	290000	4416	3399	1017
19.	बस्ती	699	66000	28000	1174	835	339
20.	संतकबीरनगर	226	37000	14000	580	447	133
21.	सिद्धार्थनगर	448	44000	13000	1361	896	465
बस्ती मण्डल		1373	147000	55000	3115	2178	937
22.	आजमगढ	687	197000	89000	1368	1050	318
23.	मऊ	357	237000	113000	802	595	207
24.	बलिया	613	208000	94000	1218	907	311
आजमगढ़ मण्डल		1657	642000	296000	3388	2552	836

25.	वाराणसी	518	138000	61000	1172	939	233
26.	चन्दौली	304	81000	31000	1046	717	329
27	गाजीपुर	616	236000	112000	1114	777	337
28.	जौनपुर	869	136000	56000	1177	766	411
वाराणसी मण्डल		**2307**	**591000**	**260000**	**4509**	**3199**	**1310**
29.	मिर्जापुर	416	97000	36000	1021	768	253
30.	भदोही	258	85000	30000	807	526	281
31.	सोनभद्र	285	61000	24000	832	488	344
मिर्जापुर मण्डल		**959**	**243000**	**90000**	**2660**	**1782**	**878**
32.	मुरादाबाद	630	80000	37000	918	714	204
33.	ज्योतिबाफूले नगर	329	42000	17000	657	461	196
34.	रामपुर	346	33000	11000	643	365	278
35.	बिजनौर	600	180000	78000	986	668	318
मुरादाबाद मण्डल		**1905**	**335000**	**143000**	**3204**	**2208**	**996**
36.	इलाहाबाद	1139	240000	106000	2228	1709	519
37.	कौशाम्बी	279	55000	19000	987	779	208
38.	फतेहपुर	466	101000	45000	992	756	236
39.	प्रतापगढ	506	219000	96000	1006	734	272
इलाहाबाद मण्डल		**2390**	**615000**	**266000**	**5213**	**3978**	**1235**
40.	कानपुर नगर	984	142000	69000	1450	962	488
41.	कानपुर देहात	405	79000	35000	1498	1184	314
42.	फर्रूखाबाद	482	76000	32000	786	523	263
43.	कन्नौज	403	58000	24000	687	513	174
44.	इटावा	616	60000	29000	1462	1131	331
45.	औरेय्या	594	49000	23000	1229	856	373
कानपुर मण्डल		**3484**	**464000**	**212000**	**7112**	**5169**	**1943**
46.	झांसी	521	75000	36000	940	722	218
47.	जालौन	722	63000	27000	1022	690	332
48.	ललितपुर	287	32000	12000	705	529	176
झांसी मण्डल		**1530**	**170000**	**75000**	**2667**	**1941**	**726**
49.	बादा	450	50000	20000	2148	1943	205
50.	चित्रकूट	271	30000	10000	499	365	134
51.	हमीरपुर	338	33000	14000	764	557	207
52.	महोबा	234	33000	14000	417	295	122
चित्रकूट मण्डल		**1293**	**146000**	**58000**	**3828**	**3160**	**668**
53.	आगरा	893	288000	122000	957	622	335
54.	अलीगढ	673	128000	52000	2366	1805	561
55.	हाथरस	289	69000	30000	791	617	174

56.	फिरोजाबाद	396	65000	29000	709	506	203
57.	मैनपुरी	473	38000	17000	945	727	218
58.	मथुरा	425	120000	47000	908	729	179
59.	एटा	758	124000	56000	1605	1170	435
आगरा मण्डल		3907	832000	353000	8281	8176	2105
60.	मेरठ	609	125000	54000	638	317	321
61.	बागपत	185	65000	29000	395	319	76
62.	गाजियाबाद	545	135000	50000	692	448	244
63.	गौतमबुद्धनगर	189	16000	8000	331	235	96
64.	बुलन्दशहर	602	296000	99000	845	666	179
मेरठ मण्डल		2130	637000	240000	2901	1985	916
65.	सहारनपुर	660	144000	64000	1234	857	377
66.	मुज्जफरनगर	634	83000	34000	1093	851	242
सहारनपुर मण्डल		1294	227000	98000	2327	1708	619
67.	बरेली	660	131000	52000	1660	1282	378
68.	शाहजहांपुर	527	143000	58000	1079	803	276
69.	बदायूं	505	128000	53000	1001	694	307
70.	पीलीभीत	326	72000	28000	2748	2042	706
बरेली मण्डल		2018	474000	191000	6488	4821	1667
महायोग		35427	7698000	3295000	75845	55073	20772

नोट : अनुच्छेद संख्या 6 एवं 7 की सूचना केवल बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का ही उल्लेख किया गया है। (आँकड़े अनुमानित है।)

तालिका – 6

बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत पदों की स्थिति

विभाग का नाम – बेसिक शिक्षा

अनुदान संख्या – 71 लेखा शीर्षक 2202

विभिन्न पदों के पदनाम	1.4.2003 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	अन्तिम विहित वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी			
1	2	3	4	5	6
आयोजनागत / राजपत्रित					
1. बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	12	12	12	8000–13500
2. लेखाधिकारी	–	5	5	5	8000–13500
3. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी	–	10	10	10	6500–10500
योग आयोजनागत / राजपत्रित	–	27	27	27	
आयोजनेतर / राजपत्रित					
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक)	–	1	1	1	18400–22400
5. शिक्षा निदेशक उर्दू एवं प्राच्य भाषा	–	1	1	1	18400–22400
6. अपर शिक्षा निदेशक (बे0)	1	–	1	1	14300–18300
7. संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला)	1	–	1	1	12000–16500
8. संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)	1	–	1	1	12000–16500
9. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा	1	–	1	1	16400–20000
10. उप शिक्षा निदेशक, अर्थ / विज्ञान / प्राइमरी, सेवायें–2	4	–	4	4	10000–15200
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	3	14	17	16	10000–15200
12. पाठ्यपुस्तक अधिकारी	1	–	1	1	10000–15200
13. निबन्धक, विभागीय परीक्षाएं	1	–	1	1	10000–15200
14. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद	1	–	1	1	10000–15200

15. जिला बासक शिक्षा अधिकारी	47	7	54	54	8000—13500
16. सं0 सचिव बे0शि0प0	1	—	1	1	8000—13500
17. स0उ0शि0नि0 / सा0 / सेवायें विज्ञान	2	1	3	3	8000—13500
18. सांख्यिकी अधिकारी, शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, इलाहाबाद	1	—	1	1	8000—13500
19. लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा	48	5	53	48	8000—13500
20. उप पाठ्यपुस्तक अधिकारी	1	—	1	1	8000—13500
21. उप सचिव, बे0शि0प0,उ0प्र0	1	—	1	1	8000—13500
22. उप बे0शि0 अधिकारी	144	13	157	123	6500—10500
23. सहा. अधि. पाठ्यपुस्तक	1	—	1	1	6500—10500
24. उत्पादन अधि., पाठ्यपुस्तक	1	—	1	1	6500—10500
25. उपरजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	1	—	1	1	6500—10500
26. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद	2	—	2	2	10000—15200
27. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद	4	—	4	4	8000—13500
28. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, इलाहाबाद	1	—	1	1	10000—15200
29. वित्त एवं लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद	1	—	1	1	8000—13500
30. सहायक लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद	1	—	1	1	6500—10500
31. वे0 सहायक शि0 निदेशालय (बेसिक)	—	1	1	1	8000—13500
32. सहायक शिक्षा निदेशक, सेवा 2 / प्राइमरी / सामाजिक शिक्षा	—	3	3	3	10000—15200
योग आयोजनेत्तर / राजपत्रित	**271**	**46**	**317**	**277**	

आयोजनागत / अराजपत्रित

लेखा संघटन जनपदीय

33. लेखाकार	—	10	10	10	5000—8000
34. सहायक लेखाकार	—	10	10	10	4000—6000
35. वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	—	5	5	5	5000—8000
36. कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	—	10	10	10	4000—6000
37. कनिष्ठ लेखा लिपिक	—	10	10	10	3050—4590
38. टंकण लिपिक	—	5	5	5	3050—4590
39. परिचारक	—	10	10	10	2550—3200
40. वरिष्ठ सहायक / प्रधान लिपिक, कार्यालय वि व शिक्षा अधि	—	5	5	5	4500—7000
41. आशुलिपिक	—	3	3	3	4000—6000
42. वरिष्ठ लिपिक	—	8	8	8	4000—6000
43. कनिष्ठ लिपिक	—	12	12	12	3050—4590
44. ड्राईवर	—	12	12	12	3050—4590
45. अर्दली / चपरासी / चौकीदार	—	25	25	25	2550—3200
योग आयोजनागत / अराजपत्रित	—	125	125	125	

आयोनेत्तर अराजपत्रित

46. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा निदेशालय	—	1	1	1	65000—10500
47. प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा निदेशालय	4	—	4	3	5500—9000
48. वै. सहा. / आशुलिपिक संवर्ग	2	—	2	2	6500—10500
49. साहि. सहायक, पाठ्यपुस्तक	6	—	6	6	5500—8650
50. आशुलिपिक, पाठ्यपुस्तक	2	—	2	2	4000—600
51. लेखाकार, बेसिक शिक्षा	153	—	153	153	5000—8000
52. ज्येष्ठ लेखा परिक्षक, शिक्षा निदेशालय	128	—	128	128	5000—8000
53. अधीक्षक—।।, शि. निदेशालय	24	—	24	24	5000—8000

54. अधीक्षक– ।।, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	5000–8000
55. सहायक रजिस्ट्रार वि, परीक्षायें	1	–	1	1	5000–8000
56. ज्येष्ठ लेखापरीक्षक, बे. शि.	48	–	48	48	5000–8000
57. वैयक्तिकस0रा0शै0अनु0प्रशि0परि0	1	–	1	1	5500–9000
58. प्रूफरीडर, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
59. जूनि. साहि. सहा., पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
60. चित्रकार, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
61. वरिष्ठ सहायक, पाठ्यपुस्तक	7	–	7	5	4500–7000
62. पुस्तकालय सहा. पाठ्पुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
63. वरिष्ठ सहायक रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	13	–	13	12	4500–7000
64. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	1190	170	1360	1100	4500–7000
65. वरिष्ठ लिपिक, शि0 नि0	63	4	67	67	4000–6000
66. कनिष्ठ लेखापरीक्षक, शि0 नि	35	–	35	35	4000–6000
67. पुस्तकालयाध्यक्ष, शि0नि0 अधीनस्त कार्यालय	9	149	158	158	4500–7000
68. वरिष्ठ सहायक, शिक्षा निदेशालय	57	11	68	68	4500–7000
69. पुस्तकालय सहायक, शि0नि0	1	–	1	1	4500–7000
70. सहायक लेखाकार, बे0शि0	106	–	106	106	4000–6000
71. वरिष्ठ लिपिक पाठ्यपुस्तक	4	–	4	4	4000–6000
72. वरिष्ठ लिपिक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	27	–	27	21	4000–6000
73. आशुलिपिक, शि0 नि0	5	–	5	4	5000–8000
74. आशुलिपिक, शि0 नि0	15	–	15	4	4000–6000
75. कनिष्ठ लेखापरिक्षक बे0 शि0	56	–	96	196	4000–6000
76. कनिष्ठ लिपिक शि0 नि0	76	5	81	74	3050–4590

77. उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिक–शि0नि0	—	1	1	1	3050–4590
78. ड्राईवर शि0 नि0	6	—	6	5	3050–4590
79. कनिष्ठ लिपिक /टंकन बेशि	182	—	182	182	3050–4590
80. कनिष्ठ लिपिक / टंकन बेशि	106	—	106	106	3050–4590
81. कनिष्ठ लिपिक, पाठ्यपुस्तक	5	—	5	5	3050–4590
82. कनिष्ठ लिपिक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं	14	—	14	14	3050–4590
83. बुक बाइण्डर, पाठ्य पुस्तक	1	—	1	1	3050–4590
84. दफ्तरी, पाठ्य पुस्तक	2	—	2	1	2610–3540
85. दफ्तरी, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं	6	—	6	6	2610–3540
86. चिन्तक, शि0 नि0	1	—	1	1	2610–3540
87. जमादार, शि0नि0	1	—	1	1	2610–3540
88. दफ्तरी, शि0 नि0	8	—	8	8	2610–3540
89. चपरासी	59	—	59	59	2550–3200
90. अर्दली / चपरासी बे0शि0	159	—	159	159	2550–3200
91. चपरासी, पाठ्य पुस्तक	7	—	7	7	2550–3200
92. परिचारक, रजिस्ट्रार,वि0परी0	6	—	6	6	2550–3200
93. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, बे0 शि0	144	—	144	144	2550–3200
94. स्टोरकीपर / कैशियर	—	1	1	1	3200–4900
95. साहि. सहायक	6	—	6	6	6500–10500
96. प्रुफरीडर	1	—	1	1	5000–8000
97 बुक बाइण्डर	1	—	1	1	2610–3540
98. आर्टिस्ट	1	—	1	1	4500–7000
99. जूनियर साहि सहायक	1	—	1	1	5500–8650
100. लेखाकार, बे0 शि0 से0संगठन	9	—	9	9	5000–8000
101. सहायक लेखाकार, बे0शि0प0 सेवा संगठन	10	—	10	10	4000–6000

102. वरिष्ठ लेखालिपिक, बे0शि0प0	8	—	8	8	4000—6000
103. आशुलिपिक	2	—	2	2	4000—6000
104. कनिष्ठ लिपिक	2	—	2	2	3050—4590
105. ड्राईवर	1	—	1	1	3050—4590
106. दफ्तरी	1	—	1	1	2610—3540
107. चपरासी	1	—	1	1	2550—3200
108. वरिष्ठ सहायक, अधीनस्थ कार्यालय	80	74	154	154	4500—7000
109. वरिष्ठ लिपिक	300	300	385	385	4000—6000
110. कनिष्ठ लिपिक	300	148	448	448	3050—4590
111. आशुलिपिक अधीनस्थ कार्या0	5	—	5	3	5000—8000
112. आशुलिपिक अधीनस्थ कार्या0	89	—	89	69	4000—6000
113. ड्राईवर, अधीनस्थ कार्यालय	70	36	106	86	3050—4590
114. दफ्तरी, अधीनस्थ कार्यालय	300	47	347	335	2610—3540
115. चपरासी / अर्दली / चौकीदार अधीनस्थ कार्यालय	2110	138	2238	2197	2550—3200
योग आयोजनेत्तर अराजपत्रित	6074	870	6944	6555	
महायोग राजपत्रित	271	73	344	304	
महायोग अराजपत्रित	6074	945	7069	6880	
महायोग	6345	1068	7413	6984	

वेतन क्रमानुसार पदों का विवरण

क्रम संख्या	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या
1	18400–22400	2
2	16400–20000	1
3	14300–18300	1
4	12000–16500	2
5	10000–15200	30
6	8000–13500	137
7	6500–10500	180
8	5500–9000	5
9	5500–8650	7
10	5000–8000	390
11	4500–7000	1771
12	4000–6000	867
13	3200–4900	1
14	3050–4590	998
15	2610–3540	367
16	2550–3200	2654
	योग	7413

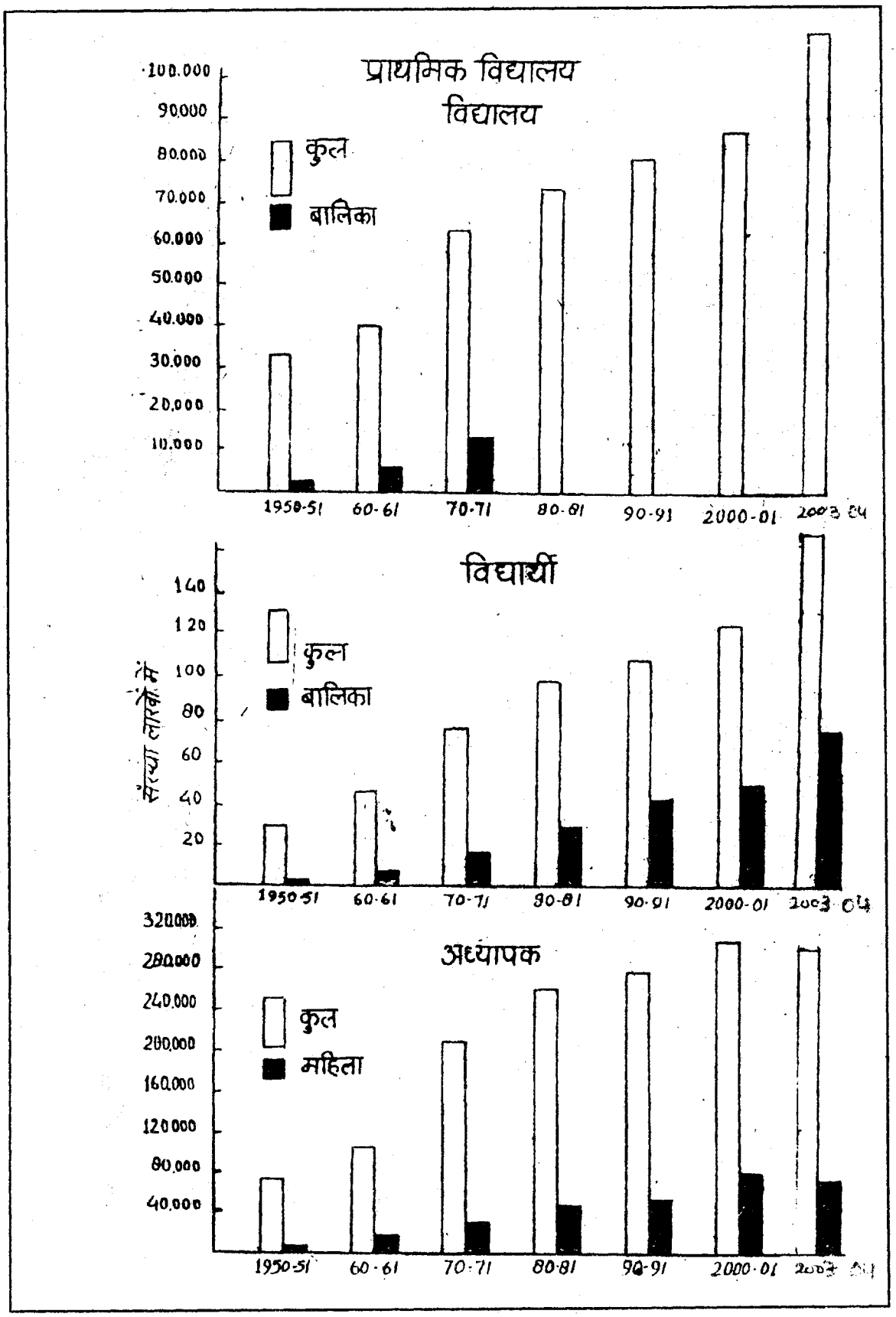
प्राथमिक विद्यालय
विद्यालय
कुल
बालिका
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
2000-01
विद्यार्थी
संख्या लाखों में
140
120
100
80
60
40
20
अध्यापक
महिला
320000
280000
240000
200000
160000
120000
80000
40000

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-12914
Date

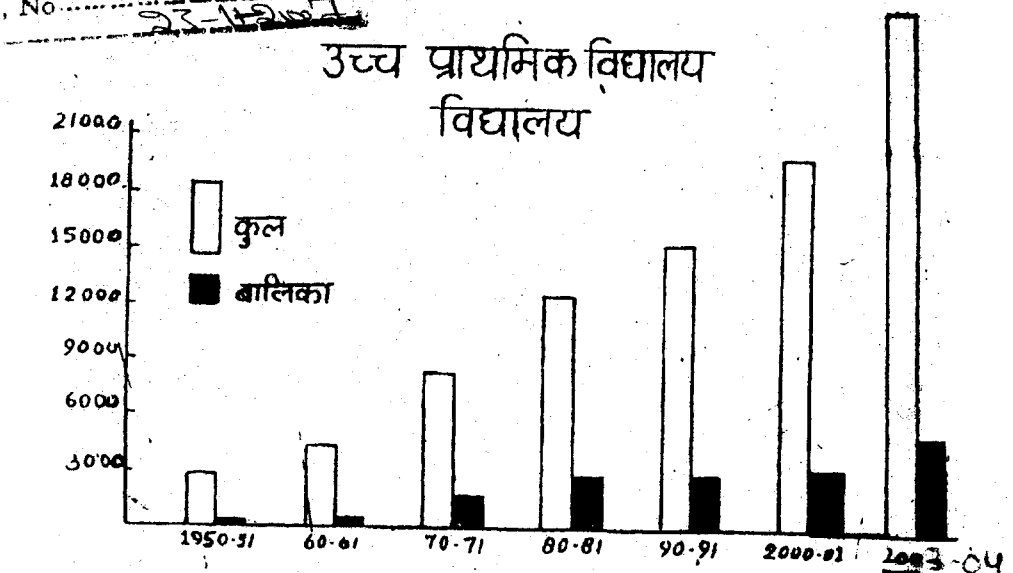

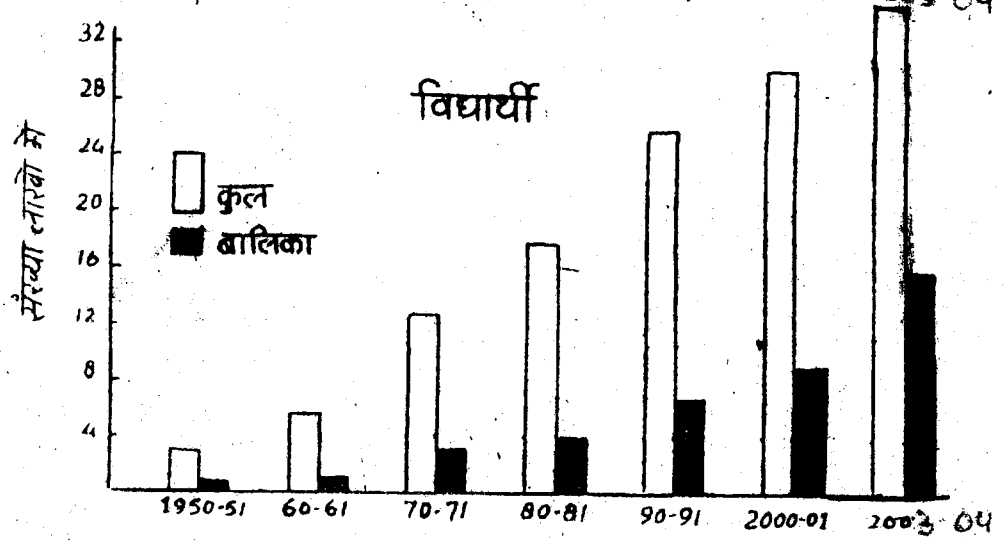

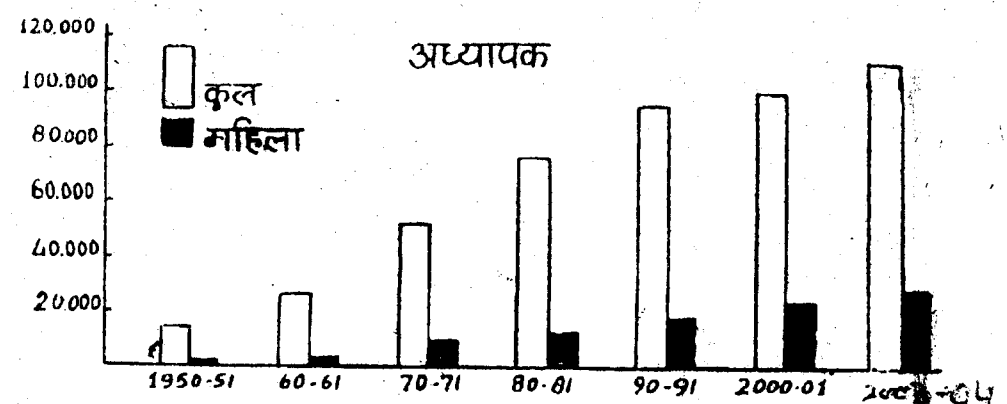

NIEPA - DC
D12914

पी0एस0यू0पी0-157 शिक्षा--7-2-04--12,00 किताबें (आफसेट)।